छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 09 /2021/परीक्षा/दिनांक 20 /11 /2021 प्रकाशन की तिथि: 01/12 /2021

:: विज्ञापन ::

राज्य सेवा परीक्षा - 2021

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 13 फरवरी 2022 पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तथा अपराह्न 3:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक

मुख्य परीक्षा की तिथि 26,27,28, एवं 29 मई 2022

प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01 /12 /2021 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 30/ 12 /2021 रात्रि 11:59 बजे तक

[illegible]	महत्वपूर्ण

1. राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही आमंत्रित किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना है कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र हैं या नहीं। ऐसा नहीं होने पर शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश पत्र [illegible] परीक्षा के सभी स्तरों पर अनंतिम प्रवेश [illegible] किया जाता है। [illegible] अभ्यर्थियों को पात्र [illegible] किया जाता है, [illegible] यह नहीं होगा कि उनके आवेदन पत्र आयोग द्वारा प्रतिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के मुख्य अभ्यर्थी के [illegible] पात्र पाए जाने की अंतिम व्यवस्था है।
3. परीक्षा फीस के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश बिल डेस्क के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चैक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01/12/2021 को मध्याह्न 12:00 बजे से 30/12/2021 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य केवल आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 01/12/2021 मध्याह्न 12:00 बजे से 05/01/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 05/01/2022 को मध्याह्न 12:00 बजे से 06/01/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार हेतु रु.100/- (एक सौ रुपये मात्र) शुल्क लिया जाएगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. [illegible] त्रुटि सुधार के पश्चात भी यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित [illegible] के रूप में भर गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे [illegible] किया जाता है तो [illegible] के पात्रता की तारीख का भुगतान हुई सुधार शुल्क के अतिरिक्त [illegible] किन्तु अनुसूचित जाति के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आयोग के [illegible] की स्थिति में शुल्क वापस की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. राज्य सेवा परीक्षा [illegible] के [illegible] अभ्यर्थियों/[illegible] का उल्लेख नहीं है [illegible] अधिसूचनाओं या वेबसाईट पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

(1) [illegible] छत्तीसगढ़ [illegible] नियम 2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम–2009 (जिसे एस.[illegible] परीक्षा नियम–2009 कहा जाता है) के नियम–1 में उल्लेखित [illegible] में से निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2022 को आयोजित की जाने वाली "प्रारंभिक परीक्षा" के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(2) राज्य सेवा परीक्षा नियम 2009 के परिशिष्ट–एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट–दो में प्रारंभिक परीक्षा की [illegible], परिशिष्ट–तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परिशिष्ट–चार में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य [illegible] दिए हैं। [illegible] के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा नियम 2009 एवं उक्त विज्ञापन की शर्तों को भली भांति सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी [illegible] किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षा कक्ष में [illegible] पाया जाता है अथवा उसके द्वारा की गई मांगी गई जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

क्रमशः

(3) सेवाओं / पदों का विवरण—

क्र.सं.	पदनाम / पद नाम	पूर्व विभागों में नियोजन संख्या				पूर्व विभाग की अधीनस्थ संस्था / जिला स्तरीय कार्यालय की स्थायी नियमित सेवाओं के लिए अर्हित पद				पूर्व विभाग के अधीनस्थ संस्था के छात्र कल्याण योजना के लिए अनिवार्य अर्हता पद				पूर्व विभागों में से डाटाबेस के 10 पद विभाग विभागवार के लिए आवंटित पद				योग	वेतन विवरण
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	पि.व.वर्ग	अ.पि.व.वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पि.व.वर्ग	अ.पि.व.वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पि.व.वर्ग	अ.पि.व.वर्ग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	राज्य पशुपालन [illegible] [illegible] [illegible]	5	2	2	2	1		2						01(XX,O,[illegible])				13	[illegible]
2	राज्य पुलिस सेवा [illegible] [illegible] [illegible]	3	1	10	2	3	1	3	2					-				15	[illegible]
3	[illegible] जिला सेवा अधिकारी जिला सेवाएं	4	1	5	2													16	[illegible]
4	जिला [illegible] अधिकारी [illegible]	1		1										-				3	[illegible]
5	[illegible] अधिकारी [illegible]		1											-					[illegible]
6	[illegible] अधिकारी [illegible]																	2	[illegible]
7	[illegible]	1																3	[illegible]
8	[illegible]			2														2	[illegible]
9	[illegible]		-	1	1	-	-	-	-					-				3	[illegible]
10	[illegible]	3	2	3	1									03(1,[illegible])				11	[illegible]
11	[illegible]	-	-	-	1													1	[illegible]
12	मुख्य कार्यपालक अधिकारी [illegible]	1	-	-	2	-												3	[illegible]
13	[illegible]	3	1	3	1	-	-							01,02				6	[illegible]
14	[illegible]	4	2	4	2	1		1						01(2,[illegible])				12	[illegible]
15	[illegible]	3	1	3		1								2 (R1,2)				10	[illegible]
16	[illegible]	3	2	3	4	5		3	1		1		1	02 (2,[illegible],01,[illegible])				30	[illegible]
17	[illegible]	2	1	2	2									-				7	[illegible]
18	[illegible]		-	-	-	-	-	-										2	[illegible]
19	[illegible]	2			1									-				4	[illegible]
	[illegible]	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-						1	
20	[illegible]	7	1	5	2	2		1										19	[illegible]
	कुल योग —	69	21	51	35													171	

[illegible]

महत्वपूर्ण बिंदु:–

(i) केन्द्र संख्या एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(ii) इस विज्ञापन स्थगित किसी भी समय पद/आवेदन का विवरण के अनुसार स्थगित किया जा सकता है।

(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासियों हेतु आरक्षण ही मान्य होगा। आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु के मूल निवासी, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यालय, पुत्रों के लिए स्थानीय निवासियों को मान्य होगा।

(iv) यदि किसी भी पात्रता मानदण्ड का पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी, प्रवेश के समय से अस्वीकार कर दी जाती है तो इस तरह का अभ्यर्थी पद के लिये उपयोगिता (Carry forward) नहीं किया जायेगा ऐसे स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार मूल्यांकित अभ्यर्थियों से भरना होगा जिस प्रकार की रिक्ति के अनुसार।

परन्तु यह अवश्य है कि यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी उपलब्ध प्रवर्ग में पात्र व्यक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है तो उस प्रवर्ग में पात्र व्यक्ति के आरक्षित पदों के विरुद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य पात्र व्यक्ति का चयन नहीं किया जाएगा।

(v) चिकित्सा की पेशा – उ में उल्लेखित पदों की संख्या एवं पश्चात् अवसर समय पर शासन के प्राप्त सूचना/जानकारी के आधार पर परिवर्तनीय होगी एवं समय रिक्तियों में विज्ञापित पदों के अलावा परीक्षा नियम–2020 के नियम–11 में उल्लेखित पदों/पदों की रिक्तियों की सूचना शासन के पूर्व किसी भी समय पर विज्ञापन के अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशित की जायेगी एवं ऐसे स्थिति में पृथक से अधिसूचना आवेदन आमंत्रित नहीं किये जायेंगे साथ ही इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के अन्य पात्र व्यक्ति इस आवेदन के अभ्यर्थी के पात्र रहेंगे।

(vi) प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन एवं परीक्षा में प्रस्तुत होने वाले मूल परीक्षा के परीक्षा में की गई त्रुटियों में विसंगति पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत/रद्द किया जा सकेगा।

(vii) अवसर उपलब्धता :–

अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व रिक्तियों के लिए निर्धारित की जानकारी पढ़ने का कष्ट करें, अभ्यर्थियों आवेदन में भरी गई जानकारी जैसे जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निवासस्थान, पुत्रों सैनिक एवं खेल आदि से एक बार पूर्ण सूचना के बाद किसी भी विषयों में बदला नहीं जा सकता। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थी से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस संबंध में अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे आवेदन आयोग से नामंजूर होकर अभ्यर्थी द्वारा भरे गए पदों के आधार पर ही उपयुक्त परिणाम घोषित किया जाएगा।

(viii) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए चलाए जाने वाले चयन जनहित याचिका, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012 रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित स्थगन आदेश, अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेंगी एवं न्यायालय एवं न्यायालय के समक्ष लंबित/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की संख्या में अभ्यर्थियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

(ix) (i) उपरोक्त तालिका की कॉलम 4, 5 एवं 6 में लिखित न्यूनतम कॉलम के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थियों के लिए तालिका 5 में उल्लेखित परिशिष्ट के कॉलम नम्बर 7, 8, 9 में वर्णित अंकों के आधार पर मेरिट सूची अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक है।

(ii) यदि शासन राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल/स्थानीय निवासी एवं अभ्यर्थी का पालन मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है, उन वर्गीय वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों में विकल्प से आरक्षित वर्ग के अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए, विज्ञापित किये जाने वाले आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं।

(iii) अभ्यर्थियों के लिए मूल/स्थानीय निवासी की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के प्रमाण पत्र संबंधित राज्य के अभ्यर्थियों के समान, निवास किये जाने वाले आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं।

(iv) विज्ञापित पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन परिस्थितियों में आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को उन पदों के लिये, यदि अनारक्षित पद रिक्त पदों है तो अनारक्षित अभ्यर्थी के साथ प्रवेश देय किया जाएगा।

(v) योग्यता का आवेदन में मांगा प्रवर्ग अंकित करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा मांगी प्रवर्ग में परिवर्तन हेतु प्रवेश कोई भी अनुरोधन मान्य नहीं किया जाएगा।

(5) (A) प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र :–

कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम
01	अंबिकापुर
02	बिलासपुर
03	दुर्ग-भिलाई
04	रायपुर
05	कुरूद-धमतरी
06	बस्तर
07	जगदलपुर
08	रायगढ़-जांजगीर
09	उदयपुर
10	कोरबा
11	कांकेर
12	कोरिया
13	पाटन-दुर्ग
14	सरगुजा
15	रायगढ़
16	राजनांदगांव
17	नारायणपुर

(B) मुख्य परीक्षा के केन्द्र :

कोड	मुख्य परीक्षा केन्द्र का नाम
01	अंबिकापुर
02	बिलासपुर
03	दुर्ग-भिलाई
04	रायपुर
05	रायगढ़

टीप:– (i) आयोग द्वारा अभ्यर्थी को एक सामान्य सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया एवं बाद परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है।

(6) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन :–

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिये पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(7) न्यायालय संबंधित योग्यता :–

अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान पालिका से अधिनियम द्वारा निर्मित/संशोधित किसी अधिनियम या राज्य के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय घोषित किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

टीप:– (i) यदि अभ्यर्थी को ऐसी किसी परीक्षा में बैठने से या बैठने के उपरांत परीक्षा में से परीक्षा की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो सकेंगे लेकिन निर्धारित परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तो भी आवेदन कर सकते हैं या एवं इसके अभ्यर्थियों को या आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हैं मुख्य परीक्षा के लिये अपने आवेदन आवेदन करते समय निर्धारित शर्तों के एवं निर्धारित प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित स्थान पर अनंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना होगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो किसी वाद ऐसे न्यायिक तकनीकी अर्हता को जो राज्य शासन द्वारा आयोग को तकनीकी अर्हता के सम्बन्ध के रूप में स्वीकार प्राप्त है, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(8) शुल्क की गणना एवं निर्धारित शुल्क :–

अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये न्यूनतम एक सौ रुपये (जिसके अलावे अन्य जिसे गये सरकारी अनुदान के अनुसार पूर्ण रूप से शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2021 से संबंधित (RC/ORC) में की जायेगी, यदि इस अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह पात्र किसी के परीक्षा में उपस्थित होने हेतु निर्धारित शुल्क एवं

अधिकतम आयु सीमा के अधीन है।

आयु सीमा एवं आयु छूटें :

8.1) राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा—

(A) आयु सीमा — [illegible] के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1/3 दिनांक 10.08.2010 के कंडिका–4 एवं उपबंध 2 पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2008 के अनुसार पुलिस उपअधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

(B) आयु सीमा में छूटें :

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये [illegible] अधिकतम [illegible] वर्ष तक [illegible] होगी।

(ii) वर्तमान अवधि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री [illegible] हो, उस अवधि आयु में से घटाकर [illegible] गई सामान्य [illegible] का [illegible] गया [illegible] की आयु [illegible] आयु सीमा से [illegible] अधिक [illegible] वर्ष तक [illegible] होगी।

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी [illegible] राज्य के [illegible] के कर्मचारियों की [illegible] 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह [illegible] कर्मचारी, [illegible] कर्मचारी, [illegible] कर्मचारी, [illegible] कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

(iv) [illegible] जो अपनी [illegible] [illegible] आयु में [illegible] की गई [illegible] की अधिक से अधिक [illegible] की कालावधि, [illegible] के अधिक चार की [illegible] देना है, को [illegible] की अनुज्ञा दी [illegible] सेवा, [illegible] आयु का वह [illegible] आयु सीमा से [illegible] है।

स्पष्टीकरण— [illegible] सेवा [illegible] ऐसा व्यक्ति जो [illegible] के अधीन किसी [illegible] इकाईयों की [illegible] जनता से [illegible] 50 प्रतिशत की [illegible] तथा [illegible] अपना पंजीयन कराने उपरान्त शासकीय सेवा में नियमित हेतु [illegible] शासन द्वारा की स्वीकृति से अधिक से अधिक तीन वर्ष तक कर्मचारियों की सेवा में रखा जिसे जाने का कारण होना जरूरी किया गया हो।

(v) [illegible] के पदों के [illegible] आयु सीमा [illegible] पद की [illegible] का [illegible] आयु सीमा [illegible] हुए शिथिल की जाएगी किन्तु [illegible] की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(vi) [illegible] विभाग के [illegible] क्रमांक एफ 3–[illegible]/2002/[illegible] तथा [illegible] दिनांक 11.01.20[illegible] के अनुसार केवल [illegible] के [illegible] निर्धारित [illegible] के लिए [illegible] आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vii) छत्तीसगढ़ के विधवा–परित्यक्ता अभ्यर्थियों को 35 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

(viii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी [illegible] अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग [illegible] विभाग के [illegible] निवास प्रमाणपत्र [illegible] के अभाव में [illegible] आयु सीमा 25 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ix) [illegible] के [illegible] पदक, [illegible] पुरस्कार, गुरुघासीदास सम्मान, महाराजा [illegible] पदक, [illegible] दिवाकरों तथा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को [illegible] अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(C) जल पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मानदंड :

(i) [illegible] 165 सेंटीमीटर या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) तथा [illegible] 150 सेंटीमीटर से अधिक (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(ii) छाती — बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुला कर 85 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के [illegible] फुलाए हुए छाती और फुलाए हुए छाती के बीच अन्तर 5 सेंटीमीटर का [illegible] होना चाहिए। इस मानदंड में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में छाती का माप अपेक्षित नहीं है।

(iii) [illegible] का [illegible] किसी प्रकार नहीं [illegible] है।

(iv) [illegible] [illegible] (Physically Fit) होना चाहिये। [illegible] (Vision Test) में [illegible] नहीं [illegible] है। [illegible] के [illegible] शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।

(v) यदि अभ्यर्थी का पुलिस अधीक्षक के पद के लिये चयन [illegible] शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उनके पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी सम्बन्ध पद के लिये आवेदन देने पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हैं। इस हेतु वे एक बार अपना पद के लिये आवेदन दिलवा दें, जबकि पुनः परीक्षा के परीक्षा परिणाम के [illegible] पर शारीरिक के पूर्व शरत पर लिया जायेगा एवं [illegible] के पूर्व किया गया [illegible] अभ्यर्थियों का शारीरिक नियमानुसार नहीं होगा।

(8.2) उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है :—

(A) आयु सीमा—[illegible] के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 10.08.2010 एवं [illegible] क्रमांक एफ 3–2/2010/1–3 [illegible] रायपुर दिनांक 30.07.2018 के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगा —

(i) अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 10.08.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार [illegible] राज्य की [illegible]/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित है किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 30.07.2018 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से 30 वर्ष की छूट होगी।

(ii) [illegible] आयु सीमा का प्रावधान [illegible] पुलिस विभाग के [illegible]/कमांडोज के [illegible] पदों पर [illegible] पुलिस विभाग में [illegible] वर्षों से कार्यरत हेड कांस्टेबल के पदों पर आयु सीमा [illegible] निर्धारित/प्रावधित है [illegible] आयु सीमा [illegible] पदों के लिये लागू होगी।

(iii) [illegible] के अन्य विभाग पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, [illegible] के लिये अधिकतम आयु सीमा में [illegible] छूट [illegible] किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iv) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी [illegible] छत्तीसगढ़ राज्य के विभाग/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी, [illegible] निवास प्रमाणपत्र निधि के [illegible] पाने वाले कर्मचारी, [illegible] कर्मचारी, [illegible] कर्मचारियों को भी अनुमत होगी। परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा/परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके पद की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परन्तु यह और भी कि इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(v) छत्तीसगढ़ [illegible] विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/[illegible] रायपुर दिनांक 29.01.2012 के अनुसार [illegible] पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को [illegible] वर्ष की छूट दी जाएगी, जिससे वर्तमान [illegible] के पद की [illegible] 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(B) आयु सीमा में छूटें :—

(i) राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (यथा संशोधित) के नियम–8 (1) (ब) के अनुसरण अंकांक (एक) से (सत्रह) तक की छूटें अभ्यर्थी को दी जायेगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2014/[illegible] रायपुर दिनांक 27.10.2014 एवं 7.11.2014 के अनुसार दिव्यांगता के वास्तविक मामलों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(iii) अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम–9 एवं संबंधित विभाग के भर्ती नियमों के सम्बन्धित है।

क्र. सं.	पद का नाम	ऊंचाई		सीना (बिना फुलाए)		
		पुरुष	महिला	बिना फुलाए	फुलाने पर	फुलाने अन्तर
2		3	4	5	6	7
1	[illegible]	162 से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.
2	[illegible]	160 से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.
3	[illegible]	155 मी.	[illegible] मी.	[illegible] मी.	-	-
4	[illegible]	162 से.मी.	–	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.
5	[illegible]	160 से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.
6	[illegible]	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.	[illegible] से.मी.

टीप – सशस्त्र सेवा अधिनियम एवं अधिनियम नियम तथा इस अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically fit) होना चाहिये और दोष (Disqualification) से अभ्यवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक पद से अलग नहीं होना चाहिए।

(9) निवासिता का अभ्यर्थित प्रमाण–पत्र –

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत थी उसके मूल सेवा अथवा अन्य किसी अन्य सेवा में कार्यरत हो या स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त पर, जिसे अंतरजिला एवं जिले की निवासियों में निवासित हो तो वे शैक्षणिक आरक्षण का दावा कर सकते हैं, परन्तु अनिवार्यतः आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने [illegible] के लिए निवास स्थान [illegible] कर [illegible] करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) [illegible] को अनारक्षित [illegible] माना जाता है, [illegible] नियुक्ति [illegible]/कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा [illegible] के लिए निवास स्थान [illegible] आवेदन [illegible] प्रस्तुत करने [illegible] सुरक्षित रखना चाहिए।

(iii) [illegible] को अनारक्षित [illegible] माना जाता है, [illegible] प्रमाणित किया जाना है, [illegible] प्रमाणित [illegible] प्रस्तुत करना होगा।

(10) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, [illegible] के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न [illegible] के मूल/स्थायी निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य उक्त विषयक वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये ही मान्य होगी। अन्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा।

टीप: [illegible] के अभ्यर्थियों को [illegible] के लिए [illegible] द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र [illegible] मूल निवास के संबंध में [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] स्पष्ट उल्लेख [illegible] निवासी [illegible] स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने की अवस्था में आवेदन पत्र आदि [illegible] स्पष्ट उल्लेख [illegible] स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा एसे अभ्यर्थी से अन्य तोषित लिया जायेगा।

(11) पात्र विधवा / अभ्यर्थी

(i) [illegible] के अभ्यर्थी का परिवार द्वारा [illegible] है क्योंकि आरोग्य [illegible] पात्रता [illegible] कोई भी [illegible] पत्र [illegible] अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/[illegible] निवासी [illegible] स्थायी/[illegible] स्थायी/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] स्थायी/[illegible] आदि होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं [illegible] करें। सफल [illegible] पद एवं [illegible] में सफल अभ्यर्थियों द्वारा [illegible] के पूर्व तथा अनुप्रमाणन कार्य के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसके पश्चात उपरांत उम्मीदवारी की अर्हता (eligibility) की जांच की जायेगी।

(ii) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुशंसित (screen in) परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में इस परीक्षा के [illegible] की [illegible] जाएगा।

(iii) प्रारंभिक परीक्षा की अंक सूचियां जारी नहीं की जाती हैं।

(iv) परीक्षा के साथ परीक्षार्थी [illegible] के अनुसार [illegible] या प्रशासनिक [illegible] में [illegible] अभ्यर्थित [illegible] प्रयास [illegible] पूर्व [illegible] एवं [illegible] के [illegible] निदेशक/कलेक्टर/[illegible] के [illegible] की [illegible] करना, [illegible], [illegible] [illegible], परिशिष्ट [illegible], [illegible] ऐसा [illegible] पहुंचाना [illegible] [illegible] किया जायेगा।

(v) [illegible] की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है [illegible] प्राप्त अंक [illegible] कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(vi) यदि अभ्यर्थी के पत्रों में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग को लिखित में तत्काल दी जाए, यद्यपि आयोग पत्र परिवर्तन का पूरा प्रयास करता है, किन्तु इस मामले में उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

(vii) अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय [illegible] परीक्षा का नाम आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, [illegible] पूरा पता लिखना चाहिए।

(viii) [illegible] परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग करना पूर्ण प्रतिबंधित है।

(ix) वाहन भिन्न –

प्रवेश पत्र प्राप्त करने पश्चात निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी जाना होगा, अनुसरण कोई आर्थिक लिंक, कोई वाहन लिंक या उपरांत के अतिरिक्त अन्य कोई [illegible], [illegible], [illegible] या कोई आर्थिक [illegible]/[illegible] नहीं [illegible] चाहिए। उत्तर पुस्तिका में कोई [illegible] चाहने पर अतिरिक्त अन्य किसी भी [illegible] अथवा किसी प्रकार के [illegible] जैसे, [illegible], [illegible] [illegible] आदि [illegible] करें। ऐसा करने पर [illegible] पुनः [illegible] अभ्यर्थी के अनर्ह घोषित किए जाने की [illegible] की जा सकती है। [illegible] निर्णय अंतिम होगा।

(12) [illegible] हुआ [illegible] के [illegible] में [illegible] और [illegible] आरक्षण [illegible] में [illegible] कर [illegible] आरक्षण की [illegible] में रखा जाना है जाएगी।

(13) अन्य महत्वपूर्ण :-

(i) [illegible] के [illegible] में [illegible] के [illegible] के [illegible] में [illegible] स्पष्ट [illegible] कर [illegible] [illegible] का [illegible] अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(ii) [illegible] अन्य [illegible] अभ्यर्थियों को [illegible] (Screen in) का [illegible] प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] नहीं होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को [illegible] परीक्षा का [illegible] के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा, इस प्रकार 20 मिनट का परीक्षा के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में [illegible] के [illegible] पूर्व [illegible] द्वारा [illegible] किया कलेक्टरों से संपर्क करें। इसके लिये [illegible] उत्तरदायित्व होना आवश्यक नहीं है। परीक्षा केन्द्र पर कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की जायेगी।

(iii) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी को स्वयं भूतपूर्व सैनिक का दिनांक से [illegible] आरक्षित अभ्यर्थी माना नहीं होंगे यदि वे भूतपूर्व सैनिक के विधवा पत्नी/विधवा (संबंध अविवाहित) द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में, आवेदन पत्र तक भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र के साथ संलग्न नहीं करते हैं। नमूना निम्नानुसार है–

शपथ पत्र (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2021 के [illegible] के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है जिसमें मैं छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत माना किया जावे। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

[illegible] अभिलेखों एवं [illegible] साक्षात्कार को पूर्ण प्रस्तुत किये जाने पर ही अनुप्रमाणन पत्र के साथ [illegible] किये)

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो [illegible] शासकीय सेवा में हैं [illegible] के लिए [illegible] नहीं होंगे। यदि ऐसे सशस्त्र सेना [illegible] शासन के अधीन कार्यरत हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ के [illegible] कार्यालयों को उनके [illegible] के [illegible] जाना होगा।

नोट : (1) भूतपूर्व सैनिक [illegible]

(2) ऐसे सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक से अंतर्गत पात्र नहीं होंगे

(14) [illegible] शारीरिक परीक्षा हेतु आयोग को कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(15) [illegible] के वास्तविक [illegible] के आधार पर ही [illegible] सूची बनायी। इस प्रयोजन सूची में [illegible] के [illegible] पूर्ण [illegible] अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को [illegible] किया जायेगा। जो पूरक [illegible] हेतु आरक्षित होंगे।

(16) [illegible] के [illegible] के कारण अभ्यर्थियों के [illegible] किये [illegible]। [illegible] के अनुसार मूल [illegible] अभ्यर्थियों द्वारा [illegible] करने की अनुमति नहीं [illegible] अभ्यर्थियों [illegible] करने की अनुमति नहीं [illegible] पर निष्कासित करने के साथ-साथ अभ्यर्थियों की [illegible] निरस्त की जायेगी। [illegible] के कारण में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(17) साक्षात्कार एवं [illegible] परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के [illegible] अभ्यर्थी का अभिलेखों पत्रक में दिये [illegible] के अनुसार [illegible] मांगकर किये जायेंगे। अभिलेखों पत्रक में दिए गए [illegible] के लिए [illegible] द्वारा [illegible] नहीं दिया जायेगा तथा [illegible] करने के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

(18) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–

(i) [illegible] के मूल/[illegible] [illegible], जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित [illegible] आते हैं एवं जिन्होंने [illegible] के पश्चात [illegible] के लिए [illegible] अर्थात् – ([illegible] रुपये मात्र) तथा [illegible] करने के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए [illegible] 100/– (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(19) ऑनलाईन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार की [illegible] सम्भव होने के कारण [illegible] प्रकाश में नहीं [illegible] अभ्यर्थियों को केवल [illegible] लिंग, वर्ग, पता विवरण, [illegible] एवं मूलभूत शैक्षिक [illegible] त्रुटियों में ही सुधार का अवसर निदेशालय में [illegible] समयावधि के लिए [illegible] दिया जायेगा।

(i) [illegible] त्रुटि सुधार [illegible] अभ्यर्थी से एक [illegible] त्रुटि के सुधार के लिए [illegible] 100/– का शुल्क लिया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा [illegible] नाम/उपनाम के अनावश्यक शब्दों के साथ में त्रुटि सुधार चाहा जाए तो अभ्यर्थी से आवश्यक शुल्क का अंतर भी वसूल की जायेगी।

(ii) [illegible] त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में [illegible] शुल्क तथा [illegible] शुल्क निदेशालय एवं [illegible] अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

(iii) [illegible] त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को दिनांक [illegible] त्रुटि सुधार का [illegible] नहीं किया जायेगा।

(iv) [illegible] त्रुटि सुधार के पश्चात् [illegible] अभ्यर्थी को [illegible] प्रवेश पत्र [illegible] साक्षात्कार/[illegible] समय पर मूल दस्तावेज परीक्षा के [illegible] एवं [illegible] मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जायेगा।

(v) [illegible] त्रुटि सुधार की प्रक्रिया [illegible] होगी।

(20) अनर्हता : [illegible] निम्नलिखित [illegible] निगम, [illegible] के [illegible] के अनुसार निम्नलिखित [illegible] होगी :–

(i) कोई भी [illegible] अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या कोई भी [illegible] अभ्यर्थी जिसकी ऐसा व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो जिसे सेवा में [illegible] नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं रहेगा।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं तो वह ऐसे अभ्यर्थी को उक्त नियम के प्रावधान से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी जिसने सेवा में रहते हुए अथवा बिना नियुक्ति लिये साक्षात्कार [illegible] एक से अधिक पत्नियाँ [illegible] की जाए तथा [illegible] संबंधित [illegible] के [illegible] के [illegible] करने वाले किसी [illegible] [illegible] किया जा [illegible]।

परन्तु [illegible] किसी अभ्यर्थी को [illegible] परीक्षा के पूर्व किसी सेवा में [illegible] अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे [illegible] की दृष्टि से [illegible] या तो अस्थायी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा [illegible] ऐसी जांच के बाद, जैसा कि आवश्यक समझी जाए, में सुनिश्चित प्राधिकारी का इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए शैक्षणिक त्रुटि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) यदि [illegible] अभ्यर्थी जिसने महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष [illegible] पाया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि उस किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध [illegible] में ऐसे मामले, लंबित हों तो उन्हें, नियुक्ति की तारीख अभ्यर्थित [illegible] मामले का अंतिम निपटारा होने तक लंबित रखा जाए।

(v) [illegible] भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की [illegible] आयु से कम विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

रद्दी/
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर

राज्य सेवा परीक्षा नियम

छत्तीसगढ़ शासन, लोक प्रशासन विभाग [illegible] के अधिसूचना [illegible] एफ ए–3/2005/1/एस, दिनांक 27.06.2005 द्वारा संशोधित के अनुसार [illegible] लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा, [illegible] एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी:–

सेवा/पद की श्रेणी

1.	राज्य सिविल सेवा (एस. डी. ओ.)	द्वितीय
2.	राज्य पुलिस (उप–अधीक्षक, पुलिस)	द्वितीय
3.	राज्य लेखा सेवा	द्वितीय
4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी (राज्य कर सहायक आयुक्त)	द्वितीय
5.	जिला [illegible] अधिकारी	द्वितीय
6.	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ	द्वितीय
7.	जिला रोजगार अधिकारी तथा [illegible]	द्वितीय
8.	श्रम अधिकारी	द्वितीय
9.	जिला [illegible]	द्वितीय
10.	[illegible] अधिकारी	द्वितीय
11.	जेल संरक्षक	द्वितीय
12.	[illegible] अधिकारी	द्वितीय
13.	सहायक [illegible] के खाद्य/[illegible] अधिकारी	द्वितीय
14.	[illegible] अधिकारी, [illegible] पंजीयक	द्वितीय
15.	उपजिलाधीश सिविल [illegible]	तृतीय
16.	सहायक [illegible], [illegible]	तृतीय
17.	[illegible]	तृतीय
18.	[illegible]	तृतीय
19.	[illegible]	तृतीय
20.	[illegible]	तृतीय
21.	[illegible]	तृतीय
22.	सहायक जेलर	तृतीय
23.	[illegible]	तृतीय
24.	[illegible] जन संपर्क	द्वितीय
25.	[illegible]	द्वितीय
26.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	द्वितीय
27.	मुख्य [illegible]	द्वितीय
28.	सहायक [illegible]	द्वितीय
29.	[illegible]	द्वितीय
30.	परिवीक्षा अधिकारी	द्वितीय
31.	सहायक परियोजना अधिकारी	द्वितीय
32.	[illegible]	द्वितीय
33.	[illegible]	द्वितीय
34.	सहायक [illegible]	द्वितीय
35.	मुख्य [illegible] अधिकारी, [illegible]	द्वितीय
36.	[illegible] अधिकारी	तृतीय
37.	अधीक्षक, [illegible]	द्वितीय
38.	सहायक [illegible], [illegible]	द्वितीय
39.	सहायक [illegible], [illegible]	द्वितीय
40.	सहायक परियोजना अधिकारी, [illegible]	द्वितीय
41.	सहायक [illegible]	द्वितीय
42.	मुख्य [illegible]	द्वितीय
43.	मुख्य [illegible]	तृतीय

2. यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्न चरणों में संपन्न होगी:–

• राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जिसके माध्यम से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।

• राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जायेगा।

परीक्षा की योजना तथा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम परिशिष्ट एक, परिशिष्ट–दो एवं परिशिष्ट–तीन के अधीन होंगे अनुसार होंगे।

(एक) भागतः उम्मीदवारों को भले ही उन्होंने किसी सेवा/पद विशेष के आवेदन किया हो, उनकी की योग्यता (परिशिष्ट एक) में उल्लेखित अनुसार उनकी जो संख्या में प्राप्त पद देने होंगे।

3. (एक) प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार क्रमिक रूप से रखे जायेंगे, इन अभ्यर्थियों में से अधिक से अधिक निम्नलिखित अवधि के अंतर कुल पद संख्या के पन्द्रह गुना के समान अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह माना जायेगा जबकि और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम अनुसार घोषित किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची पृथक रूप से तैयार की जायेगी और उनके परिणाम तदनुसार घोषित किये जायेंगे, प्रारंभिक परीक्षा: मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिये लेखन अनुरोधार (रिजनिंग) परीक्षा हायी और अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के संबंध में इस परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(दो) मुख्य परीक्षा में बैठने वाले और आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निश्चित किए जाने वाले ऐसे अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के क्रम में रखे जायेंगे। इन अभ्यर्थियों में से, विभिन्न सेवाओं के अधीन कुल पद संख्या के तीन गुना के समान अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह माना जाएगा। इसी प्रकार अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे उम्मीदवारों की, जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह पाए गए हों, एक पृथक सूची तैयार की जायेगी।

(तीन) (अ) साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में उन्हें दिए गए कुल अंकों के अनुसार संकलन क्रम में रखे जायेंगे।

किसी सेवा/विभाग के लिए किसी उम्मीदवार की सिफारिश करते समय, लिखित परीक्षा में अर्हता, आवेदन में उसके द्वारा व्यक्त किये गये अधिमान पर यदि कोई हो, सकल रूप से विचार किया जायेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में कोई अधिमान व्यक्त न किया हो तो उसके संबंध में सभी पदों के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हों।

(3) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में किसी पद के लिए अंक प्राप्त करने में सफल न हो तथापि उसके संबंध में अन्य पद/पदों के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हैं तथापि उसका विचार उन पदों के लिए नहीं किया जायेगा जिन पदों के लिए उसने अनिच्छा व्यक्त किया हो कि उसका विचार नहीं किया जाये।

(4) [illegible] विज्ञापन अनुसूचित सूची तैयार करते समय भी [illegible] होंगे।

(अ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामलों में उपलब्ध पद के लिए नामावली सूची [illegible] किया जाएगा।

क्रमशः

के अधीन न रखते हुए इसका प्रकाशन पृथक रूप से तैयार की जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई अभ्यर्थी अपने कुल अंकों के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे अनारक्षित सूची में रखा जाएगा और उसकी इस बात से अभ्यर्थी, पहले रिक्त स्थानों में उसका गणना नहीं की जायेगी।

(चार) अंतरिम के अंतिम चरण के लिए प्रमुख सूची में दी गई उम्मीदवारों की कुल संख्या से 25 प्रतिशत तक के उम्मीदवारों की एक अनुपूरक सूची भी तैयार करेंगे।

4. [illegible] की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् शासन, उम्मीदवारों के बारे में ऐसी जांच पड़ताल करना, जो वह ठीक समझे की शर्तों को अधिमान्य करने के लिए सम्मिलित रूप पर नियुक्ति के लिए, नहीं उपयुक्त है। शासन उम्मीदवारों की नियुक्ति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. [illegible] संबंधी शर्तें (क) राष्ट्रीयता— उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता— उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-2 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की डिग्री होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।

टीप (एक) उम्मीदवार को ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों जिसके परिणाम घोषित होने के पश्चात् वह परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो। परन्तु जिन्हें परिणाम की घोषणा नहीं हुई है तथा ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी अर्हता की प्रतीक्षा में बैठना चाहते हो वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे दशा में उम्मीदवारों से यह घोषणा प्रपत्र मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो पूर्व परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। प्रमाण पत्र के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी।

टीप (दो) ऐसे उम्मीदवार जो जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएँ हों जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी आदि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(ग) आयु (क) अभ्यर्थी द्वारा नियत प्रारंभिक होने के वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अंकित है उम्र से कम की न हो किन्तु अधिकतम आयु 32 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।

(2) परन्तु यह कि राज्य शासन सेवाओं का कार्यात्मकताओं को देखते हुए इन विषयों में शामिल सेवाओं में से किसी सेवा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

(3) [illegible] अधिकतम आयु सीमा निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी-

(एक) अधिकतम पांच वर्ष तक यदि छत्तीसगढ़ का अधिवासी कोई उम्मीदवार ऐसी जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो जो छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित की गई हो।

(दो) अधिकतम पांच वर्ष तक यदि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित स्थानों में भारतीय मूल के स्थायी रूप से प्रव्रजित व्यक्ति हो-

(1) वर्मा जो जिसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत प्रव्रजन किया हो या

(2) श्रीलंका या जिसने 1 अक्टूबर, 1964 के पश्चात् भारत प्रव्रजन किया हो या

(3) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के शरणार्थी रहा हो जो जिसने 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि में भारत प्रव्रजन किया है।

(तीन) अधिकतम पांच वर्ष तक यदि सरकारकार [illegible] में अधिसूचित अनुसूचित पदावलियों या जिनकी व्यक्ति हो और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा छत्तीसगढ़ में अधिवासित हो।

(चार) अधिकतम 5 वर्ष तक यदि उम्मीदवार अपनी प्रथम नियुक्ति के समय नियत हो,

(पाँच) अधिकतम 5 वर्ष तक यदि उम्मीदवार शासकीय सेवारत रहने या शासन क्रमांक सी. 1-[illegible]-3-1, दिनांक 02.09.1995 के अनुसार अनुसूचित जाति, दलित तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा घोषित अनुसूचित जाति व विवाह योजना अर्थात पुरस्कार राशि बुकाल में अन्य जाति का हो।

(छः) अधिकतम 5 वर्ष तक यदि उम्मीदवार शासकीय सेवारत रहा हो (क्लीयरेंस) के शासन आदेश क्रमांक एफ-[illegible]-7/2005/[illegible]-3 रायपुर दिनांक 01.07.2002 के अनुसार राजीव गांधी गुरुकुल सेवा, गुण्डाधुर सम्मान प्राप्त, महाराजा राजा चंद मंगलदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ी हो उनका राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हो

(सात) अधिकतम 5 वर्ष तक [illegible] सुरक्षा सेवा कर्मचारी के मामले में जो किसी दूसरे देश के हुए युद्ध के दौरान या आपात काल में किसी घोषणा के बेहतर किसान हो और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(आठ) अधिकतम 5 वर्ष तक यदि उपर्युक्त शर्तों (सात) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।

(नौ) अधिकतम 3 वर्ष तक ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो विधानमंडल के सदस्य मूल की वास्तविक स्थानांतरित (भारतीय पासपोर्ट धारी) व्यक्ति हो तथा साथ ही ऐसा शरणार्थी जो विधानमंडल में भारतीय राजदूतावास द्वारा उसे जारी किया गया, आपातकाल प्रमाणपत्र सहित कर रहा हो तथा जो विधानमंडल से भारत में जुलाई, 1975 के पूर्व न आया हो।

(दस) अधिकतम 5 वर्ष तक यदि उपर्युक्त श्रेणी (दो) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।

(ग्यारह) अधिकतम 5 वर्ष तक ऐसे भूतपूर्व सैनिक तथा सशस्त्र अधिकारी, जिन्हें दूसरी आ./ए.एफ.एस. सीधे, शामिल हैं, के मामले में जिनकी परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती 1 जनवरी को सैनिक सेवा से पद के कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हों और जिन्हें गुरुत्वपूर्ण या अकस्मात अथवा सैनिक सेवा के दौरान हुई शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण बर्खास्त या सेवा मुक्त किए जाने से पूर्व पूरी अवधि पर नियुक्त किया गया था, इनमें से व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी सेवाओं अन्त सामान्य से छह माह के भीतर समाप्त होने वाली है।

(बारह) अधिकतम 10 वर्ष तक यदि उपर्युक्त श्रेणी (नौ) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।

(तेरह) अधिकतम 10 वर्ष तक महिलाओं के लिए-यहाँ राजपत्र (विशेष भाग) दिनांक 07.02.1997 में प्रकाशित नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष प्रावधान) नियम 1997 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी (जिला अभ्यर्थियों की आयु पच्चीस वर्ष तक होगी।

(चौदह) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी या राज्य शासन के उपक्रम के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी की उम्र पैंतीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

टीप— यह अस्थायी शासकीय कर्मचारी में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-2010-सी.आर. 444-एफ (3)/ए.डी. दिनांक 30.11.1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन का संविदा कर्मचारी या अनुकम्पा नियुक्ति से सेवारत पाने वाला कर्मचारी हो यह छूट स्थायीकरण नहीं होगी यदि उम्मीदवार उपरोक्त के या तो पहले या बाद में न्यूनतम एक वर्ष तक सेवा में रहे तथा उसमें से वे तथा उसमें से वे एक वर्ष से अधिक समय तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छुट्टी लिए गए हो।

(पन्द्रह) अधिकतम 3 वर्ष तक यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ किया गया शासकीय कर्मचारी हो जो पहले आयु में से घटाने हेतु पूर्व में कुछ की गई वास्तविक अनुभवी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की अवधि कम करने के पश्चात् कम से कम एक वर्ष अधिक काल में बने रहे हो।

(क्रमशः)

स्पष्टीकरण— यह नियम किसी भी, शासकीय कर्मचारी से संबंधित है एवं अधिनियम को इस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी ईकाई को अथवा शासकीय सेवा में रहने के कारण छः माह की निरंतर अवधि तक रहा हो और शासकीय सेवा में रहने के दौरान पारिवारिक सदस्यों को सम्मिलित करने की या शासकीय सेवा में नियोजन सेवा के नियमित हेतु आवेदन करने की तारीख के अधिक से अधिक दो वर्ष पूर्व स्थायी रूप से कभी भी जनता या व्यापार सेवायुक्त किया गया हो।

(सोलहवें संशोधन 3 वर्ष तक) यदि कार्यालय में नियमित हो और उसने दूसरीय कार्य सेवा के लिए आवेदन किया हो तथा उसके द्वारा कार्य से कम से कम 3 वर्ष तक अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।

(पन्द्रह) मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1–2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 2 जून, 2004 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न कार्यों की शासकीय सेवाओं के लिये निर्धारित आयु सीमा में जनवरी वर्ष की छूट दी जाने जिसमें तथा उसमें सेवा कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकती तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष आयु की सीमा तक रहेगी।

टीपः– उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य सेवा में भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा आदि के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

6. नियम 5 (1) में जो कुछ किसी बात का छोड़ निहित अन्य सीमाओं में किसी भी विषय में छूट नहीं दी जायेगी। उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल यह जानकारी एकत्रित करेगा जो शैक्षिक या व्यावसायिक परीक्षा पास करने के पश्चात् उसके समक्ष रखी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित की गई हो। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पूर्व नियम तथा अभ्यर्थियों से लिए गए अन्य संबंधी दस्तावेज और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जायेंगे एवं आवेदन पत्र में एक बार जानकारी भरी जाने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की किसी भी रूप में किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

7. (दो) कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो या जिसकी एक पत्नी जीवित हो और वह किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका उसका विवाह ऐसी स्त्री के जीवनकाल में प्रचलन करने के कारण अमान्य हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने इस संबंध में आयोग को जानकारी, उस समय पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष अधिकार है और वह किसी पुरुष उम्मीदवार पर इस नियम के प्रावधान से छूट दे सकेगा।

8. उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सेवा विशेष के अधिकारों के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा पहुंचने की संभावना हो। कोई उम्मीदवार, जो एक चिकित्सा अधिकारी के पश्चात् भी अस्थायी, अस्थायी या नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, इन अधिकारों के अनुसार न पाया जाए नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जायेगी जिनका संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का क्रम आ जाए।

9. आयोग उम्मीदवारों को किसी विशेष सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में सलाह देगी न कि चयन। उम्मीदवारों को स्वयं यह देखना होगा कि क्या वे विहित आवश्यकताओं (शर्तों) पूरी करते हैं और वह आवेदन पत्र भरने के लिए सार्थक है। उम्मीदवारों का चयन नीचे दी गई कार्यपद्धति के लिए दिए गए शारीरिक मानकों की और अधिकारित किया जाता है। आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को इस बात से स्वयं संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वे ऐसी सेवा के लिए विहित न्यूनतम आवश्यकताओं (शर्तों) को पूरा करते हैं।

ऊँचाई और सीने के घेरे का न्यूनतम मानक

क्र.	पद का नाम	ऊँचाई	सीना		टिप्पणी
		पुरुष	बिना फुलाए	फुलाने के बाद	
1	उप उपनिरीक्षक पुलिस	160 सेमी.	86 सेमी.	89 सेमी.	5 सेमी.
2	डिप्टी कलेक्टर/अधिकारी	5'–4"	31"	33"	–
3	सिविल एवं सिविलेतर	160 सेमी.	81.50 सेमी.	–	
4	पुलिस के उ. निरीक्षक	165 सेमी.	81 सेमी.	85 सेमी.	
5	कलेक्टर जेलर	165 सेमी.	86 सेमी.	–	–

10. परीक्षा में सफल होने पर नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का ऐसी शर्तों के बाद जो वह उपयुक्त समझे जाए, इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

11. परीक्षा में चयन के लिए उम्मीदवार को पात्रता या अन्य बातों के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

12. प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश अस्थायी होगा, यदि बाद को तारीख के सत्यापन के समय यह पता चलता है कि उम्मीदवार पात्रता की शर्तों को पूरी नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो आयोग द्वारा नीचे दिए गए नियम 24 के नियमों के अधीन उपयुक्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

इस तथ्य के कि उम्मीदवार को परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि उपयुक्त उम्मीदवारी को आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है या यह कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और पूर्ण रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

यह ध्यान में रखी जाए कि मूल दस्तावेजों के संबंध में उम्मीदवार की पात्रता की शर्तों का सत्यापन उम्मीदवार के मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए जाने के बाद किया जायेगा और तब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की अंतिम रूप से नियुक्ति नहीं कर दी जाती तब तक यह अंतिम ही रहेगी।

13. किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

14. (एक) आयु में किसी छूट का लाभ किसी अन्य विभाग के लिए काम करने वाले उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र के साथ शासन प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में किसी छूट/रियायत के उपयुक्त होने के बारे में उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(दो) ऐसे उम्मीदवार को जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी नहीं है उसके लिए यह शासकीय सेवक के रूप में आयु छूट के लिए पात्र करता है उस विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख से एक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जहाँ वो उसे नियुक्त किया गया था उसमें उसके द्वारा धारित प्रत्येक पद का नाम और प्रत्येक पद पर उसकी नियुक्ति तथा पद छोड़ने की तारीख का उल्लेख होगा और यह भी प्रमाणित किया जाए कि स्थानान्तरण में बर्खास्तगी के कारण उसे स्थानान्तरित किया गया था। उसे योजनाकार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

(तीन) उम्मीदवार मूलपूर्व सैनिक के रूप में आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने विगत मुख्यालय/कार्यालय से जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसकी प्रतिष्ठा सेवा के आधार होने तथा सेवायुक्त होने की तारीखों का उल्लेख होगा और यह कि उसे मितव्ययिता/छंटनी की नियमित के फलस्वरूप या स्थानान्तरण से अन्य कर्मी के कारण, जो भी स्थिति हो, छंटनी

[illegible] था या अंकित हो कि किया गया था। उसके सेवायोजक कार्यालय ने आवेदन अस्वीकार की, यदि कोई हो, के अभिलेखों की प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

14. ऐसे उम्मीदवारों को किसी आवेदन न भेजे जिसमें निम्नलिखित के लिए नहीं गया हो—

(एक) जिसने आई. सी. एस. अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा या सेवा अधिकार में किसी भी तरीके से रुकावट डाला किया हो,

(दो) [illegible] किया हो, या,

(तीन) किसी व्यक्ति या से [illegible] बनाया/लिया हो,

(चार) झूठे बयानों या ऐसे [illegible] प्रस्तुत किए हैं जिनमें गलत किया गया हो, या

(पाँच) ऐसे बयान दिए हैं जो गलत और झूठे हैं या जिनमें गलत के किसी भी [illegible] छिपाई हो, या

(छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,

(सात) परीक्षा [illegible] अनुचित साधनों का उपयोग किया है या करने का प्रयास किया है, या

(आठ) परीक्षा भवन में ऐसे कर्मचारियों को [illegible] किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या

(नौ) उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दी गई चेतावनी की हिदायतों या अन्य अनुदेशों, जिनमें [illegible] सम्बन्धित में [illegible] पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतों का [illegible] किया है, या [illegible] किया हो,

(दस) परीक्षा कक्ष में [illegible] किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया है।

आयोग किसी अभ्यर्थी को ऐसे दंड देने के कारण—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा के लिए लिखाने के लिए वह उम्मीदवार है, अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। और/या

(ख) [illegible] या तो स्थायी रूप से या निश्चित अवधि के लिए निलंबित किया जाएगा,

(एक) अयोग्य घोषित परीक्षा से या [illegible] द्वारा [illegible] से पहले [illegible] से

(दो) [illegible] द्वारा [illegible] से वंचित किया जा सकता, और

(ग) यदि वह राज्य के अधीन सेवा में है तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु यह कि, इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही [illegible] तक आरंभित नहीं की जाएगी जब तक कि—

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन [illegible] यह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, हो और

(दो) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किए अभ्यावेदन पर विचार [illegible] किया गया हो।

15. [illegible] अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. आयोग का पास यह अधिकार सुरक्षित है कि, वह आवेदन फार्म में दिए गए अभिमत के दृष्टि में [illegible] उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र आवंटित करे। केन्द्र बदलना या आवेदन करने की कोई प्रार्थना [illegible] के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

17. [illegible] नियम 17 को विलोपित किया गया है।

18. आयोग, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब सूची [illegible] नहीं करेगा क्योंकि यह केवल एक अनुमानित परीक्षा (स्क्रीनिंग—[illegible]) होती है। अतः इस संबंध में कोई [illegible] स्वीकार नहीं किया जाएगा, [illegible] मुख्य परीक्षा की ओर [illegible] उम्मीदवारों का [illegible] परिणाम [illegible] होने के बाद भेजी जाएगी।

19. आयोग लिखित [illegible] या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के नाम व उनके पते की सूची [illegible] करना है, उम्मीदवार के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को [illegible] में अनिवार्यतः है, तथा पहले से [illegible] है, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2037—छ—अ.ज. दो, दिनांक 22.06.1962 के अनुसार [illegible] नहीं [illegible] रेल यात्राव्यय [illegible] का भुगतान किया जायेगा। [illegible] कर्ता संबंधित [illegible] या मौखिक परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। इस [illegible] के साथ कि उम्मीदवार ने वास्तव में यात्रा की है, भुगतान किया जायेगा।

20. किसी विशेष सेवा के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों का ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी [illegible] परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये, और छत्तीसगढ़ के दिल्ली में स्थान पर सेवा करनी होगी और उन्हें दी गई नियुक्ति को [illegible] करने में समर्थ होना चाहिये। पुलिस उप-अधीक्षक के रूप नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा [illegible] चयनित उम्मीदवारों को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में या अन्य सक्षम हैसियत में जैसा राज्य शासन [illegible] उन्हें उन्हें [illegible] के लिए राज्य शासन की सेवा करने के लिए एक [illegible] पत्र निष्पादित करना होगा।

21. निरसन तथा व्यावृत्ति— इन नियमों के उपबंधों सभी नियम जो इनके प्रारंभ होने के [illegible] पूर्व लागू, [illegible] द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत [illegible] वाले मामलों के संबंध में निरसित किए जाते हैं—

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

जोइयर हिन्दा, उप सचिव

1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/2008/1/एक, दिनांक 28/12/2011 द्वारा संशोधित
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2001/1/एक, दिनांक 31/12/2012 द्वारा संशोधित।
3. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/2008/1/एक, दिनांक 02/03/2015 द्वारा संशोधित
4. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2004/1/एक, दिनांक 27/07/2018 द्वारा संशोधित।
5. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/2008/1/एक, दिनांक 17/07/2018 द्वारा संशोधित
6. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 8-3/2010/1/अ, दिनांक 10/10/2014 द्वारा संशोधित।
7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2010/(एक)1) दिनांक 20/11/2017 द्वारा संशोधित।
8. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/2018/1-2, दिनांक 11/01/2018 द्वारा संशोधित।
9. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-4/2014/30-2/1-3 दिनांक 27/09/2014 द्वारा संशोधित।
10. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/2015/1(एक), दिनांक 26/12/2016 द्वारा संशोधित।
11. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2020/1(एक) दिनांक 05/03/2020 द्वारा संशोधित।

STATE SERVICES EXAMINATION RULES

As per Order Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 27.08.2008 & Amendment notifications Combined Competitive Examination for Selection to the following service/posts may be held annually, if required by the Chhattisgarh Public Service Commission

Class of Service/Post

1.	State Civil Service (Deputy Collector)	II
2.	State Police Service (Dy. Superintendent of Police)	II (Pay)

3. State Accounts Service
4. Commercial Tax Officer (Assistant Commissioner of State Tax)
5. District Excise Officer
6. Assistant Registrar Cooperative Societies
7. District Organizer Tribal Welfare
8. Labour Officer
9. District Registrar
10. Employment Officer
11. Area Organizer
12. Block Development Officer
13. Assistant Director Food/Food Officer
14. Project Officer Social/Rural Intensive Literacy Project
15. Subordinate Civil Service (Naib Tehsildar)
16. Assistant Superintendent Land Records
17. Commercial Tax Inspector
18. Excise Sub Inspector
19. Treasury Sub-Inspector
20. Cooperative Inspector
21. Assistant Labour Officer
22. Assistant Jailor
23. Sub-Registrar
24. Assistant Director Public Relation
25. Principal Panchayat Secretary of the Training Institute
26. District Women Child Development Officer
27. Chief Instructor (Aganwadi Inter Sevikas Training Centre)
28. Assistant Director (Women and Child Development)
29. Superintendent (Institutions)
30. Project Officer (Integrated Child Development Project)
31. Assistant Project Officer (Special Nutrition Programme)
32. Area Organizer (M.D.M.)
33. District Commandant Home Guard
34. Assistant Director Local Fund Audit
35. & Chief Executive Officer, Tehsil Panchayat
36. Officiating Subordinate Accounts Service Officer
37. & Superintendent District Jail
38. & Assistant Director, Urban Administration and Development Department
39. & Assistant Director, Social Welfare Department
40. & Assistant Project officer, Panchayat & Rural Development Department
41. & Assistant Director Panchayat & Rural Development Department
42. & Chief Municipal Officer Grade-B
43. & Chief Municipal Officer Grade-C

2. The combined competitive examination comprises following successive stages:

- The State Services Preliminary Examination for selection of candidates for Main Examination.
- State Services Main Examination (written examination and Interview) for final selection of candidates for the various categories of services and posts.

The Scheme of examination and syllabi of different subjects would be as given under Appendix I, II and III respectively.

(i) All candidates, irrespective of their preference for a particular service/post, will have to appear in the same number of papers as mentioned in the notification (Appendix I).

3. (i) The candidates obtaining minimum marks in the preliminary examinations as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be arranged in the order of marks obtained by them. Out of these candidates only about as many in equal to fifteen times as the total number of posts under various categories, will be deemed to qualify for the Main Examination and the results of the preliminary examination shall be announced accordingly. The list of candidates belonging to Unreserved Category, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBC qualifying for main examination shall be separately prepared and their results announced accordingly. Preliminary Examination will only serve as a screening test in selecting candidates for the Main Examination and marks obtained in this examination will not be considered at the time of final selection of candidates.

(ii) The candidates who appear in the Main Examination and obtain such minimum marks as may be fixed by the Commission in their discretion, will be arranged in the order of total marks obtained by them in the Main Examination. Out of these candidates only about as many as equal times times the total number of posts under various services will be deemed to qualify for being called for interview. Similarly a separate list of candidates belonging to Unreserved Category, scheduled castes, scheduled tribes and OBC who qualify for being called for interview shall be prepared.

(iii) (a) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate of marks awarded to them in the Main Examination and the Interview.

While recommending a candidate for a particular service, due consideration will be given to the preference, if any expressed by him/her in the application, subject to the following conditions :-

(1) If a candidate has not expressed any preference in the application, he will be considered for all posts in the order in which these have been enumerated in the advertisement.

(2) In case a candidate does not succeed in getting any of the posts of his preference, he will be considered on the basis of his aggregate of marks for other post(s) in the order in which these have been enumerated in the advertisement. However, he shall not be considered for any post(s) for which he has expressly indicated that he would not like to be considered for it.

(3) The above principles will also apply while preparing supplementary list.

(b) Merit list for each post in the case of candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and OBC will be similarly prepared separately, to the extent of reserved vacancies. In case a candidate belonging to scheduled castes or scheduled tribes or OBC by virtue of his aggregate of marks, finds place in the unreserved list, he shall be shown in the unreserved list and will not be counted against a reserved vacancy.

(iv) The Commission shall also prepare a supplementary list for each post, to the extent of 25% of the total number of candidates figuring in the main list.

4. After receipt of the recommendation of the Commission, the Government shall make such enquiries about the candidates as it may deem

(ii) In order to ensure that they are available in all respects for appointment to the posts concerned. The Government reserve the right to re-appoint such in-time candidates.

5. **Eligibility conditions** - (a) **Nationality** - The candidate must be a citizen of India.

(b) **Minimum educational qualification** - A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

Note - I - Candidates who have appeared in an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the results as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. It will be compulsory for all candidates who are declared qualified by the Commission for taking the State Services (Main) Examination to produce proof of passing the requisite examination with their application for the Main-Examination.

Note - II - Candidates possessing professional and technical qualifications in which are recognized by the State Government as equivalent to professional or technical degree would be eligible for admission to the examination.

(c) **Age** - (a) A candidate must have attained a minimum age of 21 years and must not have attained the maximum age of 38 years as on 1st January of the year of issuance of the advertisement. *Provided that* for candidates domiciled/permanent residents of State of Chhattisgarh, the maximum age shall be extended to 43 years. [4]

Provided that the State Government may vary the lower and upper age limits in respect of the services included in these Rules keeping in the exigencies of the services.

(d) The upper age limit prescribed above will be relaxable:

(i) up to a maximum of five years : If a candidate belonging to Chhattisgarh belongs to a caste or tribe notified as scheduled caste or scheduled tribe or OBC by the Government of Chhattisgarh;

(ii) up to a maximum of 3 years : If a candidate is a bonafide resident of Indian origin from :-

(1) Burma, who migrated to India on or after 1st June, 1963, or

(2) Sri Lanka, who migrated to India after 1st November, 1964; or

(3) If the Candidate is a bonafide displaced person from East Pakistan (now Bangladesh) and migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of 8 years : If the candidate repatriate or displaced person mentioned in (i,ii) supra belongs to scheduled caste, scheduled tribe or OBC as notified by Government of Chhattisgarh and domiciled in Chhattisgarh.

(iv) up to a maximum of 5 years : If the candidate is a widow on her first appointment.

(v) up to a maximum of 2 years : If the candidate holds a Green Card issued under the Family Welfare Programme. [4] (Deleted, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No.6-2/2014/1/3 Dated 10/10/2014.)

(vi) up to a maximum of 5 years : If the candidate is a forward partner of inter-caste married couple under Inter-caste Marriage Scheme sponsored by the Tribal Development and Scheduled Class Welfare Department as per GAD Memo No. G-1385-2-1 dated 2-9-1989.

(vii) **Up to a maximum of 5 years: if the candidate is sports person honoured with the Shakeen Rajeev pandey Award or Gundadhur Sammaan or Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Sammaan or Rashtriya Yuva awarded as per GAD memo No- F19-2/2005/1-3 Raipur dated 01-12-2006.**

(viii) up to a maximum of 3 years : in the case of Defence Services Personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(ix) up to a maximum of 8 years : If the candidate falling under category (viii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC;

(x) up to a maximum of 3 years : In the case of a candidate who is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam or is also a candidate holding emergency certificate issued to him by Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam after the date July, 1975;

(xi) up to a maximum of 8 years : If the candidate falling under category (x) supra belongs to a scheduled caste or scheduled tribe or OBC;

(xii) up to a maximum of 5 years : in the case of Ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have completed at least five year Military Service as on 1st January Preceding date of Commencement of Examination and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is to be completed within six months from the said date) otherwise than by way of dismissal or on charge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xiii) up to a maximum of 10 years : in case the candidate falling under category (xii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC;

(xiv) up to maximum 10 years : for women candidate As per Rajpatra (Asadharan) dated 7.2.1997, Published rule C.G. civil service (Special provision of appointment for women) Rule 1997. 10 years age relaxation will be given to women candidate. [6]

(xv) In case of the permanent/temporary employees of either of (i) State Government or any undertaking of (i) Govt. will be entitled the age relaxation up to 38 years.

N.B. - The term temporary Government servant includes a person borne on work-charged and contingency paid staff of the Chhattisgarh Government as per GAD memorandum No. 2998-Ce-44-1-(11)-93, dated the 30th November 1963. This concession will not be admissible if the candidates resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from service or post after submitting their application.

(xvi) up to a maximum of 5 years : If the candidate is a retrenched Government servant after deducting from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to maximum of seven years even if it represents more than one spell.

Explanation - The term retrenched Government servant denotes a person who was in temporary Government service of the State of Chhattisgarh in any of its constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of retrenchment in establishment not more than three years prior to the date of registration in the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(xvii) up to a maximum of 5 years: if the candidate is a handicapped and applying to the service/posts class III and must

have submitted his disability certificate of not less than 40% issued by the competent authority."

(viii) In accordance to general administration department's circular no. [illegible]-2/2007/12 dated 02/06/2004, Shikshak Bharathi of Karnataka state will be granted relaxation in maximum age limit for one hundred of years like which they have worked as shikshak karmi, for calculation purpose. The period of more than 6 months will be treated as one year. The benefit of this examination can be availed only up to 45 years.

Note: In addition to the above mentioned provisions, the instructions issued from time to time by General Administration Department regarding age limit etc. shall be applicable at the time to correct in rent to the State Civil Service.

6. Subject as provided in Rule 5 (c) the age limit must be taken into account the relaxed. The candidates should note that the Commission shall accept only such date of birth as is recorded in the matriculation or secondary school examination certificate or certificate of a examination treated equivalent thereto. No other documents relating to age like horoscope, affidavit, birth extract from Municipal Corporation or service records and the like will be accepted. Case of date of birth has been recorded in the application form, request for any change therein will not be considered under any circumstances.

7. (a) No male candidate who has more than one wife living or who marries while living a wife in any case in which such marriage is void by reason of his taking place during the life time of such wife shall be eligible for appointment to any of the services appointment to which is made on the result of this examination unless the State Government after being satisfied that there are grounds for doing so exempt any male candidate from the operation of the Rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the services on the result of this examination, unless the State Government after being satisfied that there are special grounds for doing so exempt any female candidate from the operation of this Rule.

8. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as a member of the particular service. A candidate who fails such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, shall not unless satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates who are fit will be considered for appointment and medically examined.

9. The Commission must advise candidates as to their eligibility for any particular service. It is for the candidates themselves to see whether they satisfy the prescribed requirement and whether it is worth their while to apply. However, the attention of the candidates are drawn to the physical standards laid down for certain services as given below. Before applying, the candidates should satisfy themselves that they fulfil the minimum requirements prescribed for such services.

MINIMUM STANDARD FOR HEIGHT AND CHEST GIRTH

Sl. No.	Name of Post	Height	Chest		Remarks
		Inches	Without Expansion	With Expansion	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10. The success in the examination confers no right to appointment unless the Government are satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. No representation or correspondence shall be entertained on this point. The admission to the preliminary examination shall be provisional. On verification at any later date it is found that a candidate does not fulfil all the eligibility conditions his candidature shall be cancelled. If any of his claims is found to be incorrect, he may render himself liable for disciplinary action by the Commission in terms of Rule 14 given below.

The mere fact that a certificate of admission to the examination has been issued to a candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his application for the preliminary examination have been accepted by the Commission as true and correct.

It may be noted that verification of eligibility conditions of a candidate with reference to original documents would be taken up for the candidate who qualified for the Main Examination and unless the candidature is finally confirmed by the Commission, it would continue to be provisional.

12. No candidate shall be admitted either to preliminary examination or main examination unless he/she holds a certificate of admission issued by the Commission.

13. (i) The candidates claiming any relaxation in age or any other concession must do so with their application forms appropriate certificate in original issued by the competent authority. In absence of such certificates they will not be entitled to be considered for any relaxation or concession.

(ii) A candidate claiming age concession as retrenched Government servant or Ex-Servicemen should produce in original a certificate from the Head of the Department or Office from where the candidate was retrenched stating the designation of each post held by him, the date of appointment and leaving in respect of each post and also certifying that he was discharged because of reduction in establishment. He should also produce an attested copy of the certificate of his registration at the Employment Exchange if any.

(iii) A candidate claiming age concession as an ex-servicemen should produce in original a certificate from his last Ministry/Office indicating the dates of commencement and discharge in respect of his defence service and that he was retrenched or declared surplus as a result of the reorganisation of the Economic Unit or due to normal reduction in establishment as the case may be. He should also produce an attested copy of his registration at the Employment Exchange, if any.

14. A candidate who is or has been found by the Commission to be guilty of:-

(i) obtaining support for his candidature whether in the written examination or interviews by any means or

(ii) impersonating or

(iii) procuring impersonation by any person or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information at any stage of selection, or

(vi) resorting to any other improper means for obtaining admission to the examination or

(v) indulging in attempting to use or bringing in the examination hall; or

(vi) impersonating, threatening or bribing any person in the staff employed for the conduct of examination; or

(vii) violating any of the instructions issued to the candidates along with the admission certificate or other instructions including oral instructions given by the centre supervisor or other staff engaged for conduct of examination; or

(viii) misbehaving in any manner in the examination hall or in the interview, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable -

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period -

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the State Government from employment under and

(iii) if he is already in service under Government, to a disciplinary action under appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after -

(i) giving the candidate an opportunity of making a representation in writing as he may wish to make in his behalf; and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

15. The online applications received after the date and time will not be entertained.

16. The Commission reserves the right to allocate centre for examination to the candidates keeping in view the preference recorded in the application form. No application for change of centre or any other entries in the application form shall be entertained.

17. [illegible]

18. The Commission do not supply mark sheets in respect of preliminary examination as it is only a screening test. Associated correspondence will be entertained in this connection. However, the mark sheets of the Main Examination will be sent to the candidates after publication of final results.

19. The Commission do not defray the travelling or other expenses of candidates called for written test or viva-voce. Candidates belonging to SC/ST or OBC notified for Chhattisgarh and excluded cases as excluded creamy OBC and domiciled in Chhattisgarh, who are not clearly in service will, however, be paid travelling allowance as per Finance Department Circular No. 2020-01/-R-II, dated the 22nd June 1962. The bill forms will be available at the respective centres of examination and viva-voce. Payment will be made after verification that the candidate had actually taken the test.

20. The candidates finally selected for a particular service will have to undergo such training and possess departmental examination as may be prescribed by the Government. They will be required to serve at any place in Chhattisgarh and should be able to take immediately an appointment when offered. Candidates selected by the Commission for appointment as Deputy Superintendent of Police will have to execute a bond to serve the State for a period not less than three years as Deputy Superintendent of Police or in other similar capacity as the State Government may desire.

21. **Repeal and Saving** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

XAVIER TIGGA, Deputy Secretary

1 Amended, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-30/2011-One, Dated 22/12/2011.

Amended, Notification No. F 6-3/2008-1/One, Dated 24.12.2012.

2 Amended, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-30/2012-One, Dated 13/12/2012.

Amended, Notification No. F 6-3/2008/1-One (Part-3), Dated 27.05.2014.

3 Amended, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-20/2013-One, Dated 13/12/2013.

4 Deleted, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No 6-30/2013/3 Dated 11/11/2014.

5 Amended, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-32/2015-One, Dated 30/11/2015.

6 Amended, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. 5-1/2016/1-3, Dated 13/04/2017.

7 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 30-10/2014/Ni.Pra-3, Dated 27/05/2014.

8 Amended, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-32/2018/1-One, Dated 05/12/2018.

9 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2018-2/2-16, Dated 13/07/2018.

परिशिष्ट – एक *

:: परीक्षा योजना ::

राज्य सेवा परीक्षा

1. प्रारंभिक परीक्षा – (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रारंभिक परीक्षा में 200 नंबर की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type) का बहुविकल्पीय (Multiple Choice) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प (Four Choice) होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिये जायेंगे।

- प्रथम प्रश्न–पत्र–सामान्य अध्ययन (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।
- द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य योग्यता (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।

न्यूनतम अर्हता अंक – प्रारंभिक प्रश्न–पत्र में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को, न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य योग्यता परीक्षा अर्हतापरक प्रकृति का होगी। इस प्रश्न पत्र में अर्हित अंकों को, मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रारंभिक कुल में गणना नहीं की जाएगी। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन को प्रारंभिक सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

2. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार –

परीक्षा योजना

लिखित परीक्षा – (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र. सं.	प्रश्न पत्र का नाम	प्रश्न पत्र की अवधि	पूर्णांक	टिप्पणी
1	प्रश्न पत्र– 01 भाषा	03 घण्टा	300	अभ्यर्थी को प्रत्येक पाठ्य से दो पूर्ण प्रश्न लिखने होंगे।
2	प्रश्न पत्र– 02 निबन्ध	03 घण्टा	200	
3	प्रश्न पत्र– 03 सामान्य अध्ययन I	03 घण्टा	200	
4	प्रश्न पत्र– 04 सामान्य अध्ययन II	03 घण्टा	200	
5	प्रश्न पत्र– 05 सामान्य अध्ययन–III	03 घण्टा	200	
6	प्रश्न पत्र– 06 सामान्य अध्ययन IV	03 घण्टा	200	
7	प्रश्न पत्र– 07 सामान्य अध्ययन V	03 घण्टा	200	
		कुल योग	1400	
8	साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण		150	
		कुल योग	1550	

- मुख्य परीक्षा के प्रश्न–पत्र परम्परागत प्रकार के (Conventional Type) लघु/मध्यम/दीर्घ उत्तरीय होंगे।
- प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के सभी सात प्रश्न पत्रों में सहभागिता होना होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु निर्धारित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा। मुख्य परीक्षा के लिखे गये प्रश्न पत्र में एवं साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी अनर्ह होंगे।
- प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा इच्छानुसार केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जायेगा, परन्तु किसी प्रश्न पत्र में उत्तर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अंशतः नहीं दिया जायेगा।
- प्रश्न पत्र 02 (निबंध) में दो भाग होंगे 1. अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की मुद्दे, 2. प्रदेश/राज्य के मुद्दे। अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से एक विषय दिये जायेंगे, जिनमें से एक-एक विषय का समस्या, समाधान (कारण, समाधान विभिन्न आंकड़ों सहित एवं समस्या) पर लगभग 250-250 शब्दों में निबंध लिखना होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र क्रमांक 03 से 07 में निम्नानुसार प्रश्न होंगे :–

खण्ड 01–

इस खण्ड के अन्तर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 22 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, प्रत्येक प्रश्न हेतु 22 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 44 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 20)

खण्ड 02–

इस खण्ड के अन्तर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 13 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 52 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 100)

खण्ड 03–

इस खण्ड के अन्तर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 08 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 3 अंक होंगे। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 24 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 1000)

खण्ड 04

इस खण्ड के अन्तर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के भाग 02 से कुल 02 प्रश्न दिए जायेंगे, जिनमें से अभ्यर्थी को केवल 01 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। इस खण्ड के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 125)

खण्ड 05–

इस खण्ड के अन्तर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के भाग 01 एवं भाग 02 से क्रमशः 02–02 प्रश्न दिए जायेंगे, जिनमें से अभ्यर्थी को भागवार केवल 01-01 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 10 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे। (प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 125)

(03) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम–2014 (तथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।

* प्रशासनिक सुधार, राजस्व प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक (प्र.क.) 3/साधा/(पी.एम) दिनांक 13/02/2014 द्वारा संशोधित।

ANNEXURE - I[8]

EXAMINATION SCHEME

STATE SERVICE EXAMINATION

1. Preliminary Examination - (Objective Type)

In the Preliminary Examination there will be 2 compulsory papers of 02 hours duration each. Both the question papers will have objective type multiple choice questions. There will be four choices of answers for each question out of which one is to be selected. There will be negative marking for wrong answer.

- First Question Paper- General Studies (Question 100, Marks 200, Duration 200 Hours). for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.
- Second Question Paper- Aptitude Test (Question 100, Marks 200, Duration 200 Hours) for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.

Minimum Qualifying Marks- In each Question paper essential qualifying marks for unreserved category will be 33%, and 25% for reserved categories. Second Question Paper - Eligibility Examination shall be of qualifying nature. Marks obtained in this question paper shall not be added while preparing merit list for short listing of candidates for Main Examination. Candidates shall be selected for Main Examination on the basis of merit list of First Question Paper - General Studies.

2. Mains Examination and Interview -

EXAMINATION SCHEME
Written Examination (Conventional Type)

S.N.	Name of Question Paper	Duration	Total Marks	Remark
1	2	3	4	5
1.	Paper-I Language	3 Hours	200	
2	Paper-II Essay	4 Hours	200	Candidates should write four Essays Two from each Section compulsorily
3	Paper-III General Studies - I	3 Hours	200	
4.	Paper-IV General Studies - II	3 Hours	200	
5	Paper-V General Studies -III	3 Hours	200	
6	Paper-VI General Studies -IV	3 Hours	200	
7	Paper-VII General Studies -V	3 Hours	200	
		Total Marks	1400	
8	Interview/ Personality Test		150	
		Grand Total Marks	1550	

- Question papers for Main Examination will be of Conventional nature i.e. Short/Medium/Long answers Type
- Candidates short listed for the Main Examination on the basis of Preliminary Examination (Screening Test) must appear for all the seven papers in Main Examination. Candidates selected for the interview on the basis of Main Examination must appear in the Interview. Absence in any paper of Main Examination and Interview will be liable for disqualification.
- All the question papers except first "Language" may be answered in Hindi or English chosen by the candidates. However a candidate will not be permitted to write part of the paper in Hindi and part of it in English.
- Paper II - Essay -

There will be two sections in this paper. 1. Inter-national and National level Issues 2. Chhattisgarh State Issues. The Candidates will be given four options in each section and will have to write on two options from each section. the problem-solution (reason, present status including data and solution). They will have to write the essay of 750-750 words on the given subject.

- Paper 03 to 07 will contain the question as given below-

Section 01 -

In this section there will be 22 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 02 marks. Thus the maximum marks in this section will be 44. (Word limit for answer of each question - about 30)

Section 02- In this section there will be 13 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 04 marks. Thus the maximum marks in this section will be 52. (Word limit for answer of each question - about 60)

Section 03- In this section there will be 08 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 08 marks. Thus the maximum marks in this section will be 64. (Word limit for answer of each question - about 100)

Section 04 In this section total 02 questions will be given from part 02 of the syllabus of the paper concerned. Out of which 01 question will have to be solved. The question will carry 12 marks. Thus the maximum marks in this section will be 10. (Word limit for answer of each question - about 125)

Section 05-

In this section there will be respectively 03-02 questions from Part-01 & Part-06 of syllabus of concern question paper. Out of which candidate have to attempt respectively 01-01 question portion. Each question will carry 15 marks. Thus the maximum marks for this section will be 30. (Word limit for answer of the question - about 175)

(8) The selection process will be prescribed by C.G.PSC Selection Process Rule 2014 (As Amended)

[8] Amended, as per Government of Chhattisgarh, General Administration Department's Notification No. F 6-2/2020/1/One, Dated 19-02-2020.

परिशिष्ट-दो

:: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ::

प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्नपत्रवार निम्नानुसार होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे, किसी भी [illegible] में भाषा के [illegible] की स्थिति में हिन्दी भाषा में लिखे शब्द/वाक्य को मान्य माना जाएगा।

प्रश्नपत्र 1 सामान्य अध्ययन

(प्रश्न 100, अंक 200) अवधि 2:00 घंटा

- भाग 1 तथा भाग 2 से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे।

भाग 1 — सामान्य अध्ययन —

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता संग्राम।
2. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल।
3. भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था
4. भारत की अर्थव्यवस्था।
5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
6. भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति।
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेल।
8. पर्यावरण।

भाग 2 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान :

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, लोककला, मुहावरे, ज्ञान एवं लोकोक्तियां
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष उत्सव, रीति एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ की सामसामयिक घटनाएं।

प्रश्नपत्र 2

योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200) अवधि 2:00 घंटा

- प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिये जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे।

1. संप्रेषण कौशल सहित पारस्परिक कौशल।
2. तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता।
3. निर्णय लेना और समस्या निवारण।
4. सामान्य मानसिक योग्यता।
5. मूल संख्यात्मक गणना (सामान्य गणितीय कौशल) (स्तर–कक्षा दसवीं) आंकड़ों की व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि) (स्तर–कक्षा दसवीं)।
6. हिन्दी भाषा ज्ञान (स्तर–कक्षा दसवीं)
7. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान

हिन्दी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न इसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा।

ANNEXURE-II

"State Service Preliminary Examination"

The paper wise syllabi of the Preliminary Examination is as follows:
(The question paper will be in Hindi and English both. In case of any doubt, the Hindi version will prevail.)

Question Paper 1 General Studies

(Questions 100, Marks 200), Time : 2 hours

- (There shall be 50 Questions from Part-1 & Part-2 each. Each question will carry 2 marks) 02 Marks will be awarded for each right answer and for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.

PART-1 - General Studies:

1. History of India and Indian National Movement.
2. Physical, Social & Economic Geography of India.
3. Constitution of India & Polity.
4. Indian Economy.
5. General Science & Technology.
6. Indian Philosphy, Art, Literature & Culture.
7. Current Affairs & Sports.
8. Environment.

PART-2- GENERAL KNOWLEDGE OF CHHATTISGARH

1. History of Chhattisgarh & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement.
2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archaeological and Tourist Centres of Chhattisgarh.
3. Literature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddles (ukhana), Singing (geet) of Chhattisgarh.
4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative Structure, Local Government and Panchayati raj of Chhattisgarh.
7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resources of Chhattisgarh.
8. Current Affairs of Chhattisgarh.

Question Paper 2

Aptitude Test (Questions 100, Marks 200), Time : 2 hours.

02 marks will be awarded for each right answer and for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.

1. Interpersonal skills including communication skills.
2. Logical reasoning and analytical ability.
3. Decision making and problem solving.
4. General mental ability.
5. Basic numeracy (numerical numbers skill) (Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. -Class X level)
6. Knowledge of Hindi Language (Class X level).
7. Knowledge of Chhattisgarhi Language.

Knowledge of Hindi Language and Chhattisgarhi Language will be tested in Hindi and Chhattisgarhi Language only without providing translation.

परिशिष्ट – तीन

:: पाठ्यक्रम ::

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

प्रश्न पत्र 01

भाषा

(अंक: 200, अवधि: 3.00 घंटा)

भाग–1 सामान्य हिन्दी:–

गद्य बोध, संक्षिप्त लेखन, पत्रलेखन एवं विभिन्न गद्य, पद्य-चरित्र शब्दों के अर्थ ग्रहण करने के लिए एक सामान्य गद्य, सीधे एवं संक्षिप्त हिन्दी, समान लिंग वचन, एक शब्द – विशेष, शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द, शब्द युग्मों, वचन युक्ति, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्ति (अर्थ एवं प्रयोग), पत्र लेखन। हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, उपन्यास, गद्यांश, शब्द युग्म, वाक्य लेखन, विज्ञापन, तथ्य, परिपत्र, मुहावरा, अनुवाद, हिन्दी लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, प्रश्नावली, अनुवाद (हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी)

भाग–2 General English:-

Comprehension, Precis Writing, Report Writing, Correction of Sentences, Synonyms, Antonyms, Filling the Blanks, Correction of Spellings, Vocabulary and usage, Idioms and Phrases, Tenses, Prepositions, Active Voice and Passive voice, Parts of Speech.

भाग–3 छत्तीसगढ़ी भाषा:

छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय छत्तीसगढ़ी, भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी के व्याकरण, शब्द साधन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द अलग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक) कारक, काल, लिंग, वचन, शब्द रचना की विधियां, उपसर्ग प्रत्यय वाली (ग) हिन्दी में संधि, (घ) छत्तीसगढ़ी में संधि, स्वर छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, छत्तीसगढ़ी भाषा की शब्दावली, छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय–वाक्यांश, छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय, छत्तीसगढ़ी में क्रियाओं में रचनाएं, भूत तथा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान भविष्य काल के रूप, काल, क्रिया–क्रिया के भूतकाल के रूप, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, वाक्य–वाक्य के भेद, पूर्ण–अपूर्ण वाक्यांश, पद विग्रह।

प्रश्न–पत्र 02

निबंध

(अंक: 200, अवधि: 3.00 घंटा)

भाग 1 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे:–

उम्मीदवारों को कुल दो मुद्दे पर विषय (कारण, प्रभाव व स्थिति अभिव्यक्ति सहित एवं समस्या) लिखना होगा। इस भाग के चार मुद्दों की जानेंगे जिनमें से दो मुद्दों पर लगभग 750–750 शब्दों में निबंध लिखना होगा। इस भाग के प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम 50 अंक होंगे।

भाग–2 छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे:–

आवेदकों को कुल दो मुद्दे पर निबंध (कारण, प्रभाव व स्थिति अभिव्यक्ति सहित एवं समस्या) लिखना होगा। इस भाग में चार मुद्दे दी जाएंगी जिनमें से दो मुद्दों पर लगभग 750–750 शब्दों में निबंध लिखना होगा। इस भाग के प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम 50 अंक होंगे।

प्रश्न–पत्र 03

सामान्य अध्ययन 1

(अंक: 200, अवधि: 3.00 घंटा)

भाग–1 भारत का इतिहास:

प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्य प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था, गुप्त, सातवाहन काल, पुष्य साम्राज्य, पूर्व-मध्यकालीन काल में कला, स्थापत्य, साहित्य तथा विज्ञान का विकास, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, सल्तनत एवं मुगल काल, विजय नगर राज्य, भक्ति आन्दोलन, सूफीवाद, प्रांतीय शक्तियों में राजपूतों का योगदान, मराठों का अभ्युदय, यूरोपियनों का आगमन तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के पश्चात, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, कृषि एवं भूमिनीति, सामाजिक अर्थव्यवस्था–कृषि, भू-राजस्व व्यवस्था, रयाट्वारी, इंग्लैण्ड, जमींदारी, महालवारी, इस्तमरारी, उद्योगों का पतन, ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिवालियों के साथ संघर्ष, प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन, 1857 के पश्चात नगरीय अर्थव्यवस्था, रेलों का विकास, औद्योगीकरण, संवैधानिक विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफी का उदय, नारी की स्थिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आन्दोलन, साम्प्रदायिकता का उदय एवं विकास, होमरूल आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, गांधीवादी आन्दोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गदर विद्रोह एवं आदिवासी आंदोलन, दलितों के सुधार आंदोलन, मुस्लिमों में सुधार, खलीफा आंदोलन, आजाद हिन्द फौज, स्वतंत्रता और भारत का देशीय रियासतों का विलीनीकरण।

भाग 2 संविधान एवं लोकप्रशासन:–

भारत का संवैधानिक विकास (1773–1950), संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, एकमूल संघीयता और सहकारी राज्य नीति के निदेशक तत्व, संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका संवैधानिक उपचार का अधिकार, आपातकालीन व्यवस्थाएं, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, गठबन्धन राजनीति। राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका न्यायपालिका, महाधिवक्ता। संघ राज्य संबंध–विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। अंतर्राज्यीय परिषद, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। आपातकालीन उपबंध, संवैधानिक संशोधन, आधारभूत ढांचे की अवधारणा। छत्तीसगढ़ के संवैधानिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोक प्रशासन–अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और नई लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में नए आयाम। राज्य प्रशासन संगठन। निर्णय का सिद्धान्त – सिद्धान्त, आयाम, संरचना। प्रबंध चक्र, नीति निर्धारण, निर्णय लेना। प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण–संगठन, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा। प्रशासनिक सुधार, सुशासन ई-गवर्नेंस, नीतिगत पहलें। जिला प्रशासन, भारत में प्रशासन पर नियंत्रण संसदीय, वैधानिक, न्यायिक एवं कार्यपालिका। लोकपाल एवं लोक आयुक्त संस्थान, एक अध्ययन। पंचायत एवं नगरपालिकाएं: महत्वपूर्ण–अवधारणा, एक अध्ययन–ग्रामीण शासन, सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा।

भाग–3 छत्तीसगढ़ का इतिहास:–

प्रागैतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ का इतिहास – वैदिक युग से गुप्त काल तक, प्रमुख राजवंश राजर्षितुल्य कुल, नल, शरभपुरीय, पांडु, सोमवंशी इत्यादि, कलचुरी एवं फणिनाग प्रशासन, पेशवों के अधीन छत्तीसगढ़, विशेष

क्रमशः

संरक्षण में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की मूर्तियाँ और चित्रकला। 1857 की क्रांति, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आन्दोलन, कृषक, मजदूर एवं जनजाति संघर्ष, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण।

प्रश्न पत्र 04

सामान्य अध्ययन – II

(अंक 200, अवधि 3:00 घंटा)

भाग–1 सामान्य विज्ञान:–

रसायन: रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य, रासायनिक अभिक्रिया की दर का गणितीय ज्ञान, ताप एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएँ, धातुएँ: कच्चे खनिजों से धातुओं की निकासी एवं सामान्य गुण, धातु, खनिज संसाधन, मिश्रित एवं अयस्क से अलग। धातुकर्म: लोहे का धातुकर्म, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन एवं शोधन, तांबा एवं सीसा का धातुकर्म, धातुओं का संक्षारण, मिश्र धातुएँ। अधातुएँ: अधातु रासायनिकों से अधातुओं की निकासी एवं सामान्य गुण, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ सामान्य कृत्रिम पदार्थ, पॉलीथीन, पानी निकाल, प्लास्टिक, रेशम, सीमेंट एवं अपमार्जक, भौतिक शास्त्र: प्रकाश: प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, बिजली में: विद्युत विभवांतर, धारा में ओमीय प्रतिरोध के कारण, विद्युत और इसके प्रभाव–विद्युत धारा, विमा–विमीय सूत्र, विद्युत धारा, संकेत का निर्माण, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले जनक, प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इसकी उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा तार की रचना (संरचना) विद्युत प्रवाह में रखी जाने वाली सावधानियाँ, प्रकाश: विद्युत प्रभाव, फोटोन सेल, संरचना, एक्स किरणें, रसायन, जीवविज्ञान:– पर्यावरण–पौधों के जल एवं खनिज लवण का परिवहन, जन्तुओं में परिवहन (मानव के संदर्भ में) रक्तचाप तथा हृदय, मूत्रण की संरचना तथा कार्यविधि (प्रारंभिक ज्ञान) पक्षाश संश्लेषण, परिभाषा, प्रक्रिया के प्रमुख पद, प्रकाश अभिक्रिया एवं अंधकार अभिक्रिया। श्वसन–परिभाषा, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास, श्वसन के प्रकार, आवश्यक श्वसन एवं अनावश्यक श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रक्रिया; मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) नियंत्रण एवं समन्वय–मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, परिसरण एवं गतिशीलता की संरचना एवं कार्य, पौधे एवं जन्तुओं में समन्वय पादप हार्मोन, अन्तःस्त्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन एवं कार्य। प्रजनन एवं वृद्धि– प्रजनन के प्रकार: अलैंगिक प्रजनन, विखण्डन, मुकुलन एवं पुनरुत्पादन, खंडन तथा प्रजनन, खण्डीकरण, कलम लगाना, पॉलीथीन, अलैंगिक प्रजनन, फूलों में लैंगिक प्रजनन अंग पुष्प की संरचना एवं प्रजनन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) परागण, निषेचन। मानव प्रजनन तंत्र तथा प्रजनन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) अनुवांशिकी एवं विकास–अनुवांशिकी एवं विकासवाद अनुवांशिकता का मूल आधार गुण सूत्र एवं DNA (प्रारंभिक जानकारी)।

भाग–2 योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण:– परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अनुपात एवं समानुपात– अनुपात व समानुपात की परिभाषा, भागानुपात, प्रतिलोमानुपात, एकात्मानुपात, युक्तानुपात आदि व उनके अनुप्रयोग। वाणिज्य गणित:– बैंकिंग, बचत खाता, चालू खाता, एवं आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, आयकर की गणना (सैलरी पेजशीट) के लिए तथा गृह कर गणना के संदर्भ में गुणनफल, गुणनफल मान प्रतिलोम, समानुपाती, दैनिक गणित– जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजगणित में उत्तर को जाँचना, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विद्युत, एवं चुम्बकों अनुप्रयोग तथा दोलनगति में यांत्रिक गणित के नियमों का प्रयोग आदि। सांख्यिकी गणित एवं तार्क कुशलता–अंकमूल, गरुत्व विचार, बहुमूल्य, मध्यमान, औसतमान, समानुपात के संदर्भ में। गणितीय संकेत: मूल संख्यात्मक कार्य (संख्या और उनके संबंध आदि, परिमाण ज्ञात करना, आंकड़ों का आरेख (पाई, बेरोमीटर, गणितीय आंकड़ों की व्याख्या इत्यादि) आंकड़ों का विश्लेषण, सामान्य गणित, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयतन, आयताकार, वृत्त, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, प्रश्न, अंकगणितीय गणित – जल हानि, प्रतिशत, लाभ एवं हानि। समय, घड़ी, दूरी, गति, समय कार्य (संबंधवाले) परीक्षण, मिश्रण लाभ, शब्दों का विषय कोटि, तार्किक शब्द, तर्कीय, शब्दों का विषय, शब्दों का तार्किक विश्लेषण, दूसरे दूर आकार का शब्द की प्रतिकृति, तर्कसंगत एवं कारण, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, अनुभूति शब्दों, शब्दों का छूट जाना, सामान्य मानसिक योग्यता।

भाग–3 एप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान–

प्रायोगिक भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का भूमिका, कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण में कम्प्यूटर, ग्राफिक यूनिट, यू, सॉफ्टवेयर का विकास, कार्यालयों में मुक्त अनुप्रयोग, जर्नल संसाधन–जर्नल की भूमिका, जीवाश्मित एवं अनवीनीकृत संसाधन का स्रोत, नवीनीकृत संसाधन का पता में विकास एवं प्रबंधन। भारत में कृषिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि एवं उद्यान, कृषि विज्ञान के प्रकार एवं उसके प्रभाव, भारत में पशुपालन विज्ञान, जलीय खाद्य नियंत्रण एवं भारत में रोगों का नियंत्रण। जैव विविधता: एवं उसका संरक्षण: सामान्य परिचय, महत्व, अनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। भारत का जैव–भौगोलिक वर्गीकरण। जैव विविधता का महत्व: विनाशकारी उपयोग, दोहन, उपयोग, सामाजिक, नैतिक, नैतिकता दृष्टि से महत्व। विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता, भारत एक वृहद विविधता वाला देश के रूप में। जैव विविधता के खतरे, जैव विविधता को क्षति, आवास, क्षति, वन्य जीवन को क्षति, भारत एवं वन्य जन्तु संपदा। भारत की ऊर्जा: (विद्युत स्रोतों) एवं स्थानीय प्रभावियाँ। जैव विविधता का संरक्षण अभिसमयों एवं नीतियाँ। पर्यावरण प्रदूषण: कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय:– वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। जैव अपशिष्ट प्रबंधन:– ठोस एवं औद्योगिक ठोस कचरा, घरेलू कचरा का संकलन, परिवहन, उपचार एवं निपटान, प्रदूषण के नियंत्रण में समिति की भूमिका।

प्रश्न–पत्र 05

सामान्य अध्ययन – III

(अंक 200, अवधि 3:00 घंटा)

भाग–1 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था :–

1. राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय एवं राज्य में संरचनात्मक परिवर्तन (सकल घरेलू उत्पाद एवं कार्यशक्ति)। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में कृषि में निवेश एवं नवीनतम ट्रेन–ऑफ के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से। ग्रामीण सुधार, भूमि–सुधार एवं कृषि की समस्याएँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किए गए उपाय। मौद्रिक नीति– भारत में मौद्रिक एवं वित्त बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के स्वरूप एवं कार्य 1990 के उदारीकरण के पश्चात के सुधार, रिजर्व बैंक के कार्य का नियमन, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा की संरचना और उनके उद्देश्य एवं उनके प्रभाव।

2. छत्तीसगढ़ के संदर्भ में:– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक विकास, समस्या एवं आवश्यक रचना, आय एवं रोजगार के क्षेत्रीय विषमता में परिवर्तन, महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण; बाल श्रम समस्या, ग्रामीण विकास: राज्य की विकास एवं बजटीय नीति का संरचना, कृषीय कर्ज, किसानों की, राजस्व एवं मूल्य आय में व्यय संरचना, गरीबी उन्मूलन योजना एवं नीति योजनागत व्यय, सार्वजनिक व्यय की संरचना, सार्वजनिक एवं निजी बैंक के ऋण सहित बाह्य ऋण। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक जाल के संस्थापन एवं निर्माण संस्थान स्रोत। सहकारिता की संरचना एवं भूमिका तथा कृषि साख में उनके हिस्से, पर्यटन एवं समस्याएँ।

भाग—2 भारत का भूगोल:

भारत की भौगोलिक विशेषताएँ: विस्तार एवं विस्तार, प्रायद्वीपीय संरचना, भौगोलिक विभाग, उच्चावच एवं तट, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति व जीव-जन्तु का महत्व, मानसून का तोड़ना, रुतु लक्षण। नागरीय विशेषताएँ: जनसंख्या, जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व व वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, नगरीकरण, आकस्मिक संरचना, नगरीकरण। कृषि—भारतीय कृषि की विशेषताएँ, मुख्य फसलें, खाद्यान्न, दालें, तिलहन व अन्य फसलें उत्पादन एवं वितरण। सिंचाई के साधन व उनका महत्व, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की समस्याएँ एवं निवारण। सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। खनिज संसाधन: खनिज संसार, खनिज उत्पादन एवं वितरण, ऊर्जा संसाधन: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रो रसायन, परमाणु शक्ति, ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत। उद्योग—भारत में उद्योगों के विकास एवं संस्थान: लोहे, इस्पात, सूती एवं चमड़ा उद्योग, कृषि एवं खनिज आधारित उद्योग।

भाग—3 छत्तीसगढ़ का भूगोल—

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषताएँ: विस्तार एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, उच्चावच एवं जलवायु, मिट्टी, वनस्पति व जीव-जन्तु, वनों का महत्व, रुतु लक्षण, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, राज्य की वन नीति, वन संरक्षण। जनांकिकीय विशेषताएँ—जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व व वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, नगरीकरण व अन्य वर्ग, अनुसूचित जन जाति जनसंख्या, साक्षरता, आकस्मिक संरचना, नगरीकरण, विकास कार्यक्रम। कृषि—कृषि की फसलें, खाद्यान्न, दालें, तिलहन व अन्य फसलें, उत्पादन एवं वितरण। सिंचाई के साधन व उनका महत्व, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएँ, भूमि की समस्याएँ एवं कृषकों के उत्थान के लिए शासन की योजनाएँ; औद्योगिक संरचना—छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास, खनिजों का उत्खनन एवं वितरण। ऊर्जा संसाधन: कोयला, तापीय विद्युत शक्ति, ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत; उद्योग—छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास एवं संस्थान, लोहे, इस्पात, सीमेंट एवं लघु एवं कुटीर उद्योग। परिवहन के साधन एवं पर्यटन।

प्रश्न—पत्र 06

सामान्य अध्ययन — IV

(अंक: 200, अवधि: 3:00 घंटा)

भाग—1 दर्शनशास्त्र :—

दर्शन का स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका सम्बन्ध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अन्तर, वेद एवं उपनिषद्—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, बौद्ध दर्शन—थेरवादी, हीनयान, महायान, जैन दर्शन—स्याद्वाद, सप्तभंगी नय, अनेकान्तवाद, कर्मवाद, चार्वाक दर्शन—प्रत्यक्षवाद, तत्वमीमांसा, भूतवाद, नैतिक दर्शन—जीवन का लक्ष्य, आनन्दवाद, सुखवाद, पूर्ण दर्शन—प्रकृतिवाद, अद्वैतवाद, आत्मवाद, आदर्शवाद, सांख्य दर्शन—सत्कार्यवाद, सत्व, रज एवं तम का स्वरूप, विकासवाद, प्राण तत्व, योग दर्शन—योग, न्याय दर्शन—ज्ञान, प्रमाण, प्रमाणशास्त्र, वैशेषिक दर्शन—परमाणुवाद, मीमांसा दर्शन—धर्म, अपूर्व का सिद्धान्त, अद्वैत वेदान्त—ब्रह्म, माया, जगत, जीव, सिद्धान्त—शंकर सिद्धान्त, रामानुज सिद्धान्त, मध्वाचार्य सिद्धान्त, पाश्चात्य दर्शन—प्लेटो, अरस्तू, सामान्य दर्शन, सामाजिक नैतिक चिन्तन, गुरु परम्परा—भक्ति की विभिन्न धाराएँ, वल्लभाचार्य, ज्ञानेश्वर, सामाजिक वेदान्त—सामाजिक वेदान्त, सर्वोदय दर्शन, गाँधी अरविन्द—समग्र योग, आश्रमवाद, महात्मा गाँधी—अहिंसा, सत्याग्रह, एकादश व्रत, गोपाल कृष्ण गोखले—सामाजिक चिन्तन, मानवतावाद, एम.एन. रॉय—नव मानवतावाद, प्लेटो—न्याय, अरस्तू—दासप्रथा, मिल—उपयोगितावाद, ईश्वर विहीन हिन्दू धर्मानुकूल तर्क, देकार्त—संशय पद्धति, मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, सिद्धान्त—ब्रह्म, अवशेषवाद, सहभागिता—विनयुक्त, पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धान्त, लॉक—आत्मचिन्तन, कर्म—मन, अनुभवजन्य ज्ञान, मूल्य—संतोषवाद, व्यष्टि—सम्प्रदायवाद, समष्टि—सम्प्रदायवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक मूल्य एवं नैतिक दुविधा, प्रशासन में नैतिक मूल्य, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, भ्रष्टाचार—भ्रष्टाचार, प्रकार, कारण एवं प्रभाव, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, सिविल सेवाओं में प्रासंगिकता।

भाग—2 समाजशास्त्र:

धर्म, क्षेत्र एवं जाति, अल्पसंख्यक के महत्व, अन्य विद्वानों से इसका संबंध। प्राथमिक अवधारणाएँ—समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीतियाँ एवं लोकाचार। व्यक्ति एवं समाज—सामाजिक संरचना, स्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, समाजीकरण; हिन्दू सामाजिक संगठन—वर्ण आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, सामाजिक स्तरीकरण—जाति एवं वर्ग। सामाजिक प्रक्रियाएँ—सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन—सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ एवं कारक। भारतीय सामाजिक समस्याएँ, सामाजिक विघटन, नशाखोरी, अपराध, विचलन। सामाजिक संरचना एवं प्रक्रियाएँ—सामाजिक अनुकूलन एवं उद्ग्रहण, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन, वस्तुनिष्ठता की समस्या, तथ्य संकलन की प्रविधियाँ एवं साधन—प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची।

भाग—3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य:

भारतीय सामाजिक संगठन: विवाह, परिवार, गोत्र, दुख समूह, जनजातीय विकास—इतिहास, कार्यक्रम व नीतियाँ, सांस्कृतिक धरोहर, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, अन्य जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ, छत्तीसगढ़ के जनजातियों की प्रचलित प्रमुख लोकगीत एवं विशेष परंपराएँ, जनजातीय समस्याएँ: पृथक्करण, प्रजातन्त्र और पारंपरिक संस्कृतिकरण। छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोकसाहित्य एवं प्रमुख लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोककथा, लोक नाट्य, जनजाति, गुदाना, गना, लांघोलियाँ। छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्य, संगीत एवं ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएँ, उनके क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान एवं पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले तथा पर्व—त्योहार, राज्य के पुरातात्विक स्थल एवं स्मारक, जनजातीय उत्पाद, कला, शासन द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थल, रहस्यमय पठार, जलप्रपात और झरने के जलप्रपात एवं गुफाएँ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत।

प्रश्न—पत्र 07

सामान्य अध्ययन — V

(अंक: 200, अवधि: 3:00 घंटा)

भाग—1 कल्याणकारी, विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून:

1. सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान :— भारतीय संविधान, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान, समान अधिकार संबंधी अधिनियम 1950, भारतीय संविधान एवं आरक्षण विधि (फ्रेम्ड इंडिया सहिता) के प्रावधान महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा, जीआरपीसी, परंतु हिंसा से रक्षा का संरक्षण अधिनियम—2005, सिविल प्रोसीजर संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जनसंख्या संरक्षण अधिनियम 1994, गुलामी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 2000, घरेलू कामगार नियोजन अधिनियम—1983.

2. [illegible] के संबंध में :— [illegible] में प्रचलित विभिन्न नियम/अधिनियम एवं उनके [illegible] के विभिन्न पक्षों पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक [illegible]

3. छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं :— छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय—समय पर प्रचलित कल्याणकारी योजनाएँ, उनकी विशेषताएँ एवं महत्वपूर्ण योजनाएँ।

भाग—2 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय—खेल, घटनाएं एवं संगठन— संयुक्त राष्ट्र, एवं उसके महत्वपूर्ण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एशियाई बैंक, सार्क, डब्ल्यू.टी.ओ. अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह, विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिताएं।

भाग 3 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान :—

कुपोषण, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, भारत में मानव संसाधन की गुणवत्ता एवं उपलब्धता, रोजगार के रोजगार सृजन (एंडेक्स), मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाएँ, परिषदों, जैसे— राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुक्त विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद्, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय औद्योगिक संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज एवं आई.आई.टी. आदि की भूमिका, मानव संसाधन विकास में शिक्षा एवं साक्षरता, सार्वभौमिक/सामान्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, संविधान का, शिक्षा का जन से संबंधित मुद्दे।

---

* उपरोक्त पाठ्यक्रम, लोक सेवा आयोग विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1/2020/1(ए-2) दिनांक 11/10/2021 द्वारा संशोधित

ANNEXURE - III *

"SYLLABUS"

State Services Main Examination

QUESTION PAPER - 01
Language
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

भाग—1 भाषा :- हिन्दी—

भाषा, लिपि, वर्तनी, लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, शब्दावलियों शब्दों के अर्थ, पदबंध के लिए एक शब्द, संधि एवं संधि— विच्छेद, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्ति (अर्थ एवं प्रयोग), पत्र लेखन। हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतियों की रचनाएं। कबीर, तुलसी, गद्य युग, प्रमुख लेखक— विधाएं, प्रमुख परिचय, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, निर्मल वर्मा, समकालीन, उपन्यास, कहानी, अनुवाद (हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी)

भाग—2 General English:

Comprehension, Precis Writing, Sentence Arrangement and Correction of Sentences, Synonyms, Antonyms, Filling the Blanks, Correction of Spellings, Vocabulary and usage, Idioms and Phrases, Tenses, Prepositions, Active Voice and Passive voice, Direct Speech

भाग—3 छत्तीसगढ़ी भाषा—

छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण, शब्द भेद—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादिबोधक, वचन, लिंग, कारक, काल, क्रिया रूपान्तर की विधियाँ, कारक, प्रत्यय, संधि (अ) हिन्दी से संधि, (ब) छत्तीसगढ़ी में संधि, समास, छत्तीसगढ़ी रूपान्तरण आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन की भूमिका, लोककवि के कविताओं में छत्तीसगढ़ी भाषा, लोकगीत एवं लोकनृत्य, छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय, छत्तीसगढ़ी में क्रियाओं में वर्तमान, भूत तथा पूर्णकाल (दो उदाहरण सहित भाषा के रूप, काल, क्रिया—क्रिया के भूतकाल के रूप, पूर्ण+अपूर्ण भूतकाल, क्रिया—क्रिया के भविष्यकाल के रूप, पूर्ण+अपूर्ण परिवेदनात्मक वाक्य विन्यास)

QUESTION PAPER - 02
Essay
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVEL ISSUES

Candidates will have to write two essays on issues (origin, present status including data and solution) from this part. Four problems will be given in this part. Candidate will have to write two essays on this part about 750-750 words. Each issue in this part will carry 50 marks.

PART - 02: CHHATTISGARH STATE LEVEL ISSUES

Candidates will have to write two essays on issues (origin, present status including data and solution) from this part. Four problems will be given in this part. Candidate will have to write two essays on this part about 750-750 words. Each issue in this part will carry 50 marks.

QUESTION PAPER - 03
General Studies - I
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 History of India:-

Pre-historic Age, Indus Civilization, Vedic Civilization, Jainism and Buddhism, Rise of Magadh Empire, Maryan Polity and Economy, Sunga, Satavahana period, Gupta Empire, Development of Art, Architecture, Literature & Science during the Gupta Vakataka Period, Major dynasties of south India, Medieval Indian History, Sultanate and mughal period, Vijaya Nagar Empire, Bhakti Movement, Sufism, Development of literature in regional languages, Rise of Marathas.Advent of Europeans and factors responsible for the establishment of British Supremacy, Expansion of British Empire- Wars and diplomacy, Anti Economy-Agriculture, Land Revenue Systems - Permanent Settlement, Ryotwari, Mahalwari, Decline of handicrafts industries, Relation of East India Company with India, Changes in Administrative Structure, Urban Economy after 1858, Development of Railways, Industrialization, Constitutional Development.Socio- Religious Reform Movements - Prarthna Sabha, Arya Samaj, Brahma Samaj, Ram Krishna Mission, Rise of Nationalism, The Revolt of 1857, establishment of Indian National Congress, Partition of Bengal and Swadeshi Movement, Rise and Development of Communalism, Revolutionary Movements, Home Rule Movement, Gandhian Movements, Quit India Movement, Workers, peasant and Tribal Movements, reform movement among Dalits, reform movement among Muslims, Aligarh Movement, Indian National Army, Independence and Partition of India, Merger of States.

PART - 02 Constitution & Public Administration-

Constitutional Development of India (1773-1953), Formation of the Constitution and Salient Features, Preamble, Nature of the Constitution, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of State Policy, Union Executive, Legislative and Judiciary, Right to Constitutional Remedies, Public Interest Litigation, Judicial Activism, Judicial Review, Attorney General, State Executive, Legislative and Judiciary, Advocate General, Centre State Relationships- Legislative, Executive and Financial, All India Services, Union and State Public Service Commission, Emergency Provisions, Constitutional Amendments, Concept of Basic Structure, Govt. of Chhattisgarh - Legislative, Executive and Judiciary, Public Administration- meaning, Scope, Nature and Importance, Public Administration and Private Administration under Liberalization, New Public Administration, Development Administration and Comparative Administration, New dimensions in Public Administration, State vs. Market, Rule of Law, Organisation Principles, approaches and structure, Management-Leadership, Policy determination, Decision making, Instruments of Administrative Management- Co-ordination, Delegation, Communication, Observation and Motivation, Administrative Reforms, Good Governance, E-Governance, Bureaucracy, District Administration, Control on Administration in India - Parliamentary, Financial, judicial and Executive, Lokpal and Lok Ayukta, Right to Information, Panchayats and Municipalities, Parliamentary, Presidential, Unitary-Federal Governments, Theory of Separation of Powers, Administrative Structure of Chhattisgarh.

PART - 03 History of Chhattisgarh-

Pre-historic Age, History of Chhattisgarh from Vedic age to Gupta Period, Major dynasties- Rajarshtulya Kula, Nala, Sharabhpuriya, Pandu, Sevvanshis etc. Zamindaris and their Administration, Chhattisgarh under the Marathas, British, Chhattisgarh under British protectorate, Former states and Zamindaris of Chhattisgarh, Feudatory States, Revolt of 1857, Freedom Movement in Chhattisgarh, Workers, Peasant and Tribal Movements, Formation of Chhattisgarh State.

QUESTION PAPER - 04
General Studies - II
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 General Science-

CHEMISTRY :- Rate of chemical reaction and chemical equilibrium - Preliminary knowledge of rate of chemical reaction, fast and slow chemical reactions. Metals - Position of metals in the periodic table and general properties, Metal, mineral ore, Difference between mineral and ore, Metallurgy concentration, roasting, smelting, refining of ores, Metallurgy of copper and iron, corrosion of metals, Alloys. Nonmetals - Position of nonmetals in the periodic table and general properties, Some important organic compounds, some general artificial polymers, polythene, polyvinyl chloride, Teflon soap and detergents. PHYSICS :- Light - nature of light, reflection of light, law of reflection, reflection from plane and curved surfaces, image formation by plane, convex and concave mirror, relation between focal length and radius of curvature, electric discharge in gases, cause of origin of energy in the Sun, Electricity and its effects - electric intensity, potential- potential difference, electric current, Ohm's law, Resistance, specific resistance, influencing factors, combination of resistance and related numerical questions, thermal effect of current and its uses, calculation of power and electrical energy spent, (numerical) precautions observed in electric experiments, Photoelectric effect, Solar Cell, Structure, PN Junction, Diode. BIOLOGY : Transport: transport of mineral and water in plants and animals (in context of human being), structure and function of blood, structure and working of heart, (preliminary knowledge), Photosynthesis- Definition, major steps of the process, light reaction and dark reaction, Respiration - Definition, breathing and respiration, Types of respiration, Aerobic and anaerobic respiration, respiratory organs of animals respiratory system of human being and mechanism of respiration, Human digestive system and digestive process (General information), Control and coordination - Nervous system of human being, Structure and function of human brain and spinal cord, coordination in plants and animal, Phytohormones, endocrine glands hormone and their function, Reproduction and growth - type of reproduction, Asexual reproduction, fission, budding, regeneration, artificial vegetative reproduction, layering, cutting, grafting, Parthenogenesis, sexual reproduction in plants, structure of flower and reproduction process, (general information) pollination, fertilization, Human reproductive system and reproduction process, (general information), Heredity and evolution - heredity and variation, Fundamental basis of heredity chromosome and DNA (preliminary information)

PART - 02 Aptitude Test, Logical Reasoning, Mental Ability:- Addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers, Finding the rational number between two rational numbers, Ratio and Proportion - definition, properties, alternendo, invertendo, componendo etc. and their uses, Commercial Mathematics - Banking, calculation of interest on/ in saving account, fixed deposit amount and recurring deposit account, Calculation of income tax (for salaried person and excluding house rent allowance), Factorization, LCM, HCF, Vedic Mathematics - addition, subtraction, multiplication, division and checking the answer through quick, Square, square roots, cube, cube roots, circular and its application, The application of vedic mathematics methods in algebra etc., Introduction and creativity of Indian Mathematician - in reference with Aryabhata, Varaha mihira, Brahma gupta,

Bhaskaracharya, Shrinivas Ramanujan. Mathematical operations, basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitudes etc.), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.) and analysis of data. Arithmetic mean, Median, Mode, Probability. Question related to addition and multiplication theorem on probability. Applied mathematics- Profit and Loss, Percentage, Interest and Averages, Time, speed, distance, river and boat. Analogy Test, Odd word, Odd pair of words, Coding & Decoding Test, Relation Test, Alphabet Test, Mathematical Operations, Logical analysis of words, Inserting the missing number or word, Assertion and Reason, Situation reaction test, Figure series, Deduction of elements, General Mental ability.

PART - 03 Applied & Behavioural Sciences-

Robot Information Technology in Rural India, basic knowledge of computer, computers in communication and broadcasting, software development for economic growth, Broad applications of IT. Energy Resources: Demand of Energy, conventional and nonrenewable energy resources of energy, the development and utilization of nuclear energy in the country. Science & Technology developments in India in pre-vedic, origin of agriculture, Progress of Agricultural Science and its impact, Crop science in India, Fertilizer, Control of pests and disease scenario in India, Bio-diversity and its conservation - General introduction - definition, species and genetic diversity, Bio-geographical classification of India, Importance of Bio-Diversity - Constructive and Destructive application, Importance of social, moral and aesthetic vision, Global, National and Local level Bio-diversity, India as a mega biodiversity nation, Hotspots of Biodiversity, threats to biodiversity, loss of habitat, damage to wildlife, humans and wild animals conflict, India's threatened/endangered and endemic species, Conservation of bio-diversity, Topological and Nontopological conservation. Environmental pollution - Causes, effect and control measures- Air pollution, water pollution, marine pollution, soil pollution, sound/noise pollution, thermal pollution, nuclear pollution. Solid waste management - Urban and Industrial solid waste management: Causes, effect and control, Human role in pollution control.

QUESTION PAPER - 05
General Studies - III
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 Economics of India & Chhattisgarh-

1 National and per capita income, Structural changes in the Indian Economy (GDP and work force), Changes in the role of Public and Private Sectors and their shares in the total plan outlay of the latest plan, Economic Reforms, problems of poverty and unemployment, magnitude and measures initiative to ameliorate them, Monetary Policy- structure of Indian Banking and non-banking financial institutions and reforms in the mid-1990s, Regulation of Credit by RBI, Pattern of Public Revenue, Public expenditure, Public Debt, fiscal deficit and their effects on the Economy. 2 In Reference with C.G. - Demographic features and social backwardness of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes and Minorities, Literacy and occupational structure, changes in the sectoral distribution of income and employment, Socio, Political and Economic empowerment of Women, Child Labour problem, Rural Development, State Finance and Budgetary policy- Tax structure, Sharing in Central Taxes, Expenditure pattern in Revenue and Capital Account as well as plan and non-plan expenditure, Public Debt composition- Internal and External Debt including World Bank loans, Institutional and non-institutional sources of Rural Credit in Chhattisgarh, Structure and growth of Co-operatives and their shares in total credit, adequacy and problems.

PART - 02 Geography of India:-

Physical features of India, location & extension, Geological Structure, Physical Divisions, Drainage System, Climate, soil, Vegetation and importance of forest, Indian forest policy, Forest conservation, Human Characteristics - Population, Census, Population Growth, Density and Distribution, Birth rate, Mortality rate, Infant Mortality rate, Migration, Literacy, Occupational Structure, Urbanization, Agriculture - Characteristics of Indian agriculture, Agricultural land Crops, Cereal, Pulses, Oilseeds and other crops, Production and distribution, mean of irrigation and its importance, Modernization of agriculture, problems of agriculture and planning, Irrigation multipurpose projects, Green revolution, white revolution, Blue revolution, Mineral resources-mineral storage, production and distribution of mineral, Energy resources- coal, Petroleum, thermal power energy, nuclear energy, non conventional sources of energy, Industries- Development and structure of industries in India, large scale medium, small and smallest scale, agriculture, forest and mineral based industries.

PART - 03 Geography of Chhattisgarh-

Physical features of Chhattisgarh, location & extension, Geological Structure, Physical Divisions, Drainage System, Climate, soil, Vegetation and wild life, importance of forest, wild life management system, national parks and sanctuaries, State forest policy, Forest conservation, Human Characteristics - Population, Population Growth, Density and Distribution, Birth rate, Mortality rate, Infant Mortality rate, Migration, Sex ratio, age group, scheduled caste population, Literacy, Occupational Structure, Urbanization, family welfare programs, Agriculture-Agricultural land Crops, Cereal, Pulses, Oilseeds and other crops, Production and distribution, mean of irrigation and its importance, important irrigation projects, problem of agriculture and state schemes for farmers benefits, Mineral resources- various types, mineral storage in Chhattisgarh, production and distribution of minerals, Energy resources- coal, Thermal power energy, non conventional sources of energy, Industries- development and structure of industries in Chhattisgarh, large scale medium, small and smallest scale, agricultural, forest and mineral based industries, mean of transport and tourism.

QUESTION PAPER - 06
General Studies - IV
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 Philosophy:-

Nature of Philosophy, its relationship between religion and culture, difference between Indian and Western Philosophy, Veda and Upanishads-Brahman, Atman, Rta, Philosophy of Gita - Sthitprajnya, Swadharma, Karmayoga, Philosophy of Charvaka-Epistemology, Metaphysics, Materialism, Philosophy of Jain - Nature of Jiva, Anekantavada, Syadvada, Panchmahavrata, Philosophy of Buddha - Pratityasamutpada, Ashtanga Marg, Anatmavada, Kshanikvada, Philosophy of Sankarya - Satkaryavada, nature of Prakriti and Purusha, Vikasavada, Philosophy of Yoga - Ashtanga Yoga, Philosophy of Nyaya - Pramana, Apramana, Anumanvada, Philosophy of Vaisheshika - Paramanuvada, Philosophy of Mimansa, Dharma, Theory of Apurva, Philosophy of Advaita Vedanta, Brahman, Maya, Jagat, Moksha, Karyya - Theory of Satkarya, theory of Mandal, Gurumantra - Sociological philosophy, Guru Chandra - Characteristics of Satnam, Panthia, Vallabhacharya - Pushtimarga, Swami Vivekananda - Practical Vedanta, Universal Religion, Sri Aurobindo - Integral yoga, supramental

Mahatma Gandhi - Ahimsa, Satyagraha, eleven vows, Bhimrao Ambedkar - Social Thought, Deenayal Upadhyay - Ekatma manav darshan, Plato - Virtue, Aristotle - Theory of Causation, Saint Anselm - Ontological argument for the existence of God, Descartes - method of doubt, I think therefore I am, Spinoza - Substance, Pantheism, Leibnitz - Theory of Monad, Theory of Pre - established harmony, Locke - epistemology, Berkeley - esse est percipi, Hume - Scepticism, Kant - Criticism, Hegel - Phenomenology and spirit, dialectical idealism, Bradley - Idealism, Moore - Realism, A.J. Ayer - Verification theory, John dewey - Pragmatism, Sartre - Existentialism, Meaning of Religion, Nature of Philosophy of Religion, Religious tolerance, secularism, problem of evil, Ethical Values and Ethical Dilemma, Ethical concerns in Administration- Honesty, Responsibility, Transparency, Code of conduct for Public Servants, Corruption - Meaning, Types, Cause and Effect, Efforts to remove corruption, Relevance of whistle-blower.

PART - 02 Sociology:-

Sociology- Meaning, Scope and nature, Importance of its study, Relation with other Social Sciences, Primary Concepts - Society, Community, Association, Institution, Social group, Folkways and Mores, Individual and Society - Social Interactions, Status and role, Culture and Personality, Socialization, Hindu Social Organization - Religion, Ashram, Varna, Purushartha, Social Stratification - Caste and Class, Social Processes - Social Interaction, Cooperation, Struggle, Competition, Social Control and Social Change - Sources and agencies of Social Control, Processes and factors of Social Change, Indian Social Problems, Social disorganization-Anomie and Alienation, Criminality, Social Research and Techniques - Objective of Social Research, How Scientific method in study of Social Phenomena, Problems of objectivity, Tools and techniques of data collection - Observation, Interview, Questionnaire, Schedule.

PART - 03 Social Aspect of Chhattisgarh:

Tribal social organization: Marriage, Family, Clan, youth dormitories, Tribal Development : History, Programmes and Policies, The Constitutional System, Special Primitive Tribes of Chhattisgarh, Other Tribes, Scheduled Caste and Other Backward Class of Chhattisgarh, Main Ornaments popular in tribes of Chhattisgarh, Special traditions, Tribal Problems : Isolation Migration and acculturation, Folk arts of Chhattisgarh, Folk literature and Proverbs, Folk Arts of Chhattisgarh, Folk songs of Chhattisgarh, Folk legend, Folk theater, Idioms and Proverbs, Pandi/Fidale (prayer), Sugna (song), Literary, Music and Art Institutions of Chhattisgarh State, Chhattisgarh State awards in Jose Talks, Folk culture of Chhattisgarh, Major Fairs and Festivals of Chhattisgarh, Protected Archaeological monuments, sites and excavated sites in State, Tourism places marked by Chhattisgarh Govt., National Parks, Sanctuaries and Waterfalls and caves of Bastar, Major dams of Chhattisgarh

QUESTION PAPER - II
General Studies - V
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 Welfare, Development Programme & Laws:-

1. Social and Important Legislation - Indian Society, Social legislation as a tool or a means of social transform, Human Rights Protection Legislation 1993, Protection granted to Females (IPC) under Indian Constitution & Criminal Law (Penal Code), Protection Act 2005 to Females from Domestic Violation, Civil Rights Protection Act 1955, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Atrocity Protection Law 1989, Right to Information Act 2005, Environment Protection Act 1985, Consumer Protection Act 1986, Information Technology Act 2000, Corruption Prevention Act 1988.
2. In Reference to Chhattisgarh: Customary Various Laws and Acts in Chhattisgarh and their welfare and developmental impact on residents of Chhattisgarh
3. Welfare Schemes of Chhattisgarh Government: Customary welfare, People-oriented and Important Schemes introduced in various fields by Chhattisgarh Government.

PART- 02 International & National Sports, Events & Organisations:-

United Nations and its Associated Organisations, International Monetary Fund, World Bank and Asian Bank, SAARC, BRICS, Other Bilateral and Regional Groups, World Trade Organization and its impact on India, National and International Sports and Competition.

Part- 03 International & National Educational Institute & their Role in Human Development :-

Availability of Skilled Human Resources, Employability and Productivity of Human Resources, Various Trends of Employment, Role of Various Institutions and Councils in Human Resources Development, as- Higher Education and National Commission for Research, National Educational Research and Training Council, National Educational Scheme and Administration University, University Grants Commission, Open University, All India Technical Education Council, National Education Teacher Council, National Vocational Education Council, Indian Agriculture Research Council, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, National Institute of Technology, National Law University, Polytechnique and ITI, Education in Human Resource Development, Linear Universal/Equal Elementary Education, Higher Education and Technical Education, Quality of Vocational education, Issues related to Girls' Education, Deprived Class, Issues related to Disabled People.

6 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department, vide Notification No. F 6-8/2006/1(Ex), dated 13.02.2019.

परिशिष्ट–चार

"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:

(1). [illegible] भरने से पहले नीचे दी गई सामान्य जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लॉगिन लिंक: वेबसाइट www.ssc.nic.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेगी।

(2). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम Candidate's Registration प्राप्त होगा। [illegible] नाम, पिता का नाम, [illegible] जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आईडी की सही दे करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन नम्बर व ई–मेल आईडी पर ऑनलाइन आवेदन हेतु लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड सूचित किया जाएगा। इस चरण में पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर का नोटिफिकेशन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ही अभ्यर्थी प्राप्त करने अथवा प्रदर्शन करने का मार्ग दिया जा सकेगा। अभ्यर्थी सफलतापूर्वक पंजीयन पूर्ण होने तक उसका मोबाईल नम्बर व ई–मेल आईडी, न बदलें तथा एक ही रखें। मोबाईल नं./आधार नम्बर को चालू रखें। [illegible] Candidate's Registration हेतु न्यूनतम दिए गए मोबाईल नम्बर को चालू रखें। [illegible] अन्य आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने अथवा प्रदर्शन करने का मार्ग दिया जा सकेगा। ई–मेल आईडी, न दी जाएगी।

(2). अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन मोबाईल नं. [illegible] रजिस्ट्रेशन [illegible] सही दी, वह सफल न [illegible] ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां सही एवं शुद्ध कोटे एवं वर्ग [illegible] Submit बटन के माध्यम से पूरी करने पर ही [illegible] आवेदन [illegible] अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु [illegible] प्राप्त होगा, जिस पर [illegible] शुल्क भुगतान विकल्प के लिए [illegible] पर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान हो जाने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक न पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वेबसाइट पूर्ण होने तक [illegible] अभ्यर्थी का [illegible] ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट आउट [illegible] सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित [illegible] अभ्यर्थी [illegible] आवश्यक सूचनाएं आयोग की [illegible] www.ssc.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन [illegible] पर ही एवं पैरामीटर का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/ई.मेल भेजने हेतु आयोग [illegible] नहीं है। अतः इस संबंध में कोई भी अभ्यर्थी अपील नहीं कर सकेंगे।

(4). अभ्यर्थी स्वयं अपने हित में या अंतिम तिथि के समय से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करेंगे। शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प द्वारा, [illegible] के माध्यम से ही करें।

(5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश– ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि से [illegible] की तिथि में खिंचवाया हुआ पासपोर्ट साइज के [illegible] होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड [illegible] हल्के रंग का होना चाहिए तथा चेहरे में अभ्यर्थी की ठोड़ी और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तारीख लिखी हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा निर्देशानुसार विज्ञापन में फोटो को अपलोड कर JPEG फाइल (साइज 10KB-20) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्कैन करते समय केवल फोटो ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (जिस पर फोटो चिपकाया गया हो)/Reflective Document Mat) नहीं। अभ्यर्थी द्वारा फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। परिषद् के आयोग द्वारा निरीक्षण किए जाने पर अभ्यर्थी को फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश– ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी द्वारा निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर JPG फाइल (साइज 10KB-20) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (जिस पर फोटो चिपकाया गया हो)/Reflective Document Mat) को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना है कि जानकारी या ऑनलाइन आवेदन में कोई गलती हो की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह स्पष्ट किया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है, अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने से पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक पढ़ें एवं सत्यापित कर लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात ही अंतिम रूप से आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी का अपने ऑनलाईन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगा। [illegible] अभ्यर्थी [illegible] एवं, जरूरत पड़ेगा तो [illegible] में मांगे जाने पर उसके आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद सुरक्षित नहीं रखने से अतः आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा/अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु किए [illegible] पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि से ऑनलाइन विंडो पर उपलब्ध रहेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(11). आवेदक यह ध्यान रखें कि निर्धारित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार पद्य के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में संशोधन सुधार कर लें।

(12). ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क मात्र 30/- [illegible] शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में संपादन एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।

(iii) त्रुटि सुधार के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्य त्रुटि की गई

[illegible] ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि कर दी [illegible] पर [illegible] के बाद भी शुल्क के भुगतान [illegible] चाहिए। अन्यथा [illegible] की स्थिति में शुल्क [illegible] नहीं लौटाया जाएगा।

(iv) परीक्षा शुल्क [illegible] किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं है।

नोट:—

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने पास सुरक्षित रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की सुरक्षा एवं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी सहायता केंद्र यथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपने निजी स्तर पर ही करें। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक सहायता केंद्र अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया के दौरान सर्वर डाउन होना किसी प्रकार का ऐसा शुल्क लिया जाता है तो उसका भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। प्रत्येक ऑनलाइन मीडिया का मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी/अन्य कांटेक्ट डिटेल्स से रखने के लिए लाभ सिस्टेमेटिक होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिनके ऑनलाइन भरने के बाद विधि सम्मत प्रमाणित हार्ड कॉपी आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का दावा भी स्वीकार नहीं होगा, ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न मानते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र न मिलने/सत्यापन हेतु बुलाया पत्र—

(1) प्रवेश पत्र/सत्यापन हेतु बुलाया पत्र परीक्षा/सत्यापन के प्रारम्भ से 10 दिन पूर्व से आवेदक द्वारा भरे गए एवं उसकी सूचना एवं संपर्क [illegible] दी जाएगी।

(2) परीक्षा पत्र/सत्यापन हेतु बुलाया पत्र कार्यालय पत्र से नहीं भेजे जाते हैं। परीक्षा/सत्यापन हेतु बुलाया पत्र आयोग की वेबसाइट www.psssb.org.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस आधार पर लिया गया निर्णय [illegible] होगा।

(3) किसी भी [illegible] परीक्षा/सत्यापन में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक प्रवेश पत्र/सत्यापन हेतु बुलाया पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/सत्यापन के समय ID Proof हेतु [illegible] *[illegible]* [illegible] के साथ [illegible] होगा। [illegible] प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/सत्यापन हेतु बुलाया पत्र में [illegible] पाया जाता है या परीक्षा के दौरान प्रवेश पत्र पर विधानुसार कार्यवाही [illegible] पर [illegible] अभ्यर्थी को परीक्षा/सत्यापन में अयोग्य [illegible]।